लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and constains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

624(Ai)LSD—1.

विषय-सूची

अंक ५२—गुरुवार, १६ अप्रैल, १९६४/२७ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०६८	गंगा के जल का विद्युत परियोजना के लिये उपयोग	३९५७–५८
१०६९	भारत सहायता संगठन (कंसोर्टियम)	३९५९—६२
१०७०	परिवार नियोजन	३९६२—६४
१०७१	परिवार नियोजन योजनाओं का विरोध	३९६४—६७
१०७२	भारत तथा पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण	३९६७—७२
१०७३	उड़ीसा सरकार के लेखे का विशेष परीक्षण	३९७२—७५
१०७४	बीकानेर में तापीय विद्युत केन्द्र	३९७५–७६
१०७५	लागत अध्ययन दल	३९७६—७८
१०७६	कोनार बांध	३९७८–७९

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१९	नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी	३९७९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७७	गोआ को बिजली का सम्भरण	३९८२–८३
१०७८	तपेदिक की रोकथाम	३९८३
१०७९	स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े	३९८३–८४
१०८०	"स्ट्रेप्टोनेक्स सल्फेट" की शीशी में मक्खियां	३९८४–८५
१०८१	तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना	३९८५
१०८२	एकाधिकार आयोग	३९८६
१०८३	संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से अनुदान	३९८६
१०८४	समान बिक्री कर	३९८७
१०८५	लिसाड़ा नाला	३९८७–८८
१०८७	दिल्ली में चिकित्सा सुविधायें	३९८८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा ने उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 52-Thursday, April 16, 1964/Chaitra 27, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	Subject	Page
1068	Harnessing the Waters of Ganga	3957-58
1069	Aid India Consortium	3959—62
1070	Family Planning	3962—64
1071	Opposition to Family Planning Schemes	3964—67
1072	Exodus from India and Pakistan	3967—72
1073	Special Audit of Orissa Govt. Accounts	3972—75
1074	Thermal Power Station in Bikaner	3975-76
1075	Cost Study Units	3976—78
1076	Konar Dam	3978—79
S.N. Q. No.		
19	Shortage of Water in Netaji Nagar, New Delhi	3979—82

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1077	Supply of Power to Goa	3982-83
1078	Control of T.B.	3983
1079	Health Statistics	3983-84
1080	Flies in a Vial of Streptonex Sulphate	3984-85
1081	Tawa Multi-purpose Project	3985
1082	Monopolies Commission	3986
1083	Grants from U.N. Special Fund	3986
1084	Uniform Sales Tax	3987
1085	Lissara Drain	3987-88
1087	Medical Facilities in Delhi	3988

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
२२११	पोचमपाद परियोजना	३९८८
२२१२	राष्ट्रीय जलसम्भरण तथा स्वच्छता समिति	३९८९
२२१३	सम्पदा शुल्क	३९८९–९०
२२१४	कम्पनी अधिनयम के अन्तर्गत मुकदमे	३९९०
२२१५	विस्थापित व्यक्तियों के लिये उत्तर प्रदेश को मंजूर की गई राशि	३९९०–९१
२२१६	महालेखापाल, उत्तर प्रदेश	३९९१
२२१७	आयुर्वेद का विकास	३९९१
२२१८	सामाजिक सुरक्षा	३९९२
२२१९	दामोदर घाटी निगम विद्युत योजनायें	३९९२
२२२०	नई दिल्ली में कई मंजिलों वाली इमारतें	३९९२
२२२१	राज्य योजना बोर्ड	३९९२–९३
२२२२	दिल्ली में चलती–फिरती मधुशाला	३९९३
२२२३	गर्भ–निरोधक टिकियां	३९९३–९४
२२२४	पट्टा नामा	३९९४
२२२५	सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञ	३९९४
२२२६	जय इंजीनियरिंग वर्क्स	३९९५
२२२७	सिंचाई परियोजनायें	३९९५–९६
२२२८	उड़ीसा को सहायता में कमी	३९९६
२२२९	उड़ीसा में अनुसंधान योजनायें	३९९६–९७
२२३०	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाना	३९९७
२१३१	उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया का उन्मूलन	३९९७–९८
२२३२	उड़ीसा में आयुर्वेद का विकास	३९९८–९९
२२३३	उड़ीसा में होम्योपैथिक अस्पताल	३९९९
२२३४	व्यापार लाभ कर	३९९९
२२३५	कैंसर की दवा	३९९९–४०००
२२३६	उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन	४०००
२२३७	सरकारी उपक्रमों के लाभ	४०००
२२३८	आगरा नहर के साथ तापीय संयंत्र	४०००–०१
२२३९	डालमिया जैन फर्म	४००१
२२४०	डालमिया जैन फर्म	४००२
२२४१	स्वर्गीय मौलाना आजाद का मकबरा	४००२
२२४२	केरल में बी० मलायी रोग	४००२–०३
२२४३	आसाम में बिजली की आवश्यकता	४००३
२२४४	चोरी से लायी गयी अदावी मुद्रा	४००३
२२४५	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में दकानें	४००३
२२४६	चोरी से लाया गया सोना	४००४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(*Contd.*)

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2211	Pochampad Project	3988
2212	National Water Supply and Sanitation Committee	3989
2213	Estate Duty	3989–90
2214	Prosecutions under Companies Act	3990
2215	Amount sanctioned to U.P. for D. Ps.	3990–91
2216	Accountant General, U.P.	3991
2217	Development of Ayurveda	3991
2218	Social Security	3992
2219	D.V.C. Power Schemes	3992
2220	Multi-Storeyed Buildings in New Delhi	3992
2221	State Planning Boards	3992–93
2222	Mobile Bar in Delhi	3993
2223	Birth Control Tablets	3993–94
2224	Lease Deed	3994
2225	Medical Specialists in Safdarjang Hospital	3994
2226	Jay Engineering Works	3995
2227	Irrigation Projects	3995–96
2228	Shortfall in Assistance to Orissa	3996
2229	Research Schemes in Orissa	3996–97
2230	Slum Clearnace in Orissa	3997
2231	Eradication of Malaria and Filaria in Orissa	3997–98
2232	Development of Ayurveda in Orissa	3998–99
2233	Homoeopathic Hospitals in Orissa	3999
2234	Business Profit Tax	3999
2235	Cure for Cancer	3999–4000
2236	Generation of Power in U.P.	4000
2237	Profits of Public Undertakings	4000
2238	Thermal Plant along Agra Canal	4000–01
2239	Dalmia-Jain Concerns	4001
2240	Dalmia-Jain Concerns	4002
2241	Tomb of Late Maulana Azad	4002
2242	B. Malayi Infection in Kerala	4002–03
2243	Power requirement in Assam	4003
2244	Unclaimed smuggled Currency	4003
2245	Shops in Ramakrishnapuram, New Delhi	4003
2246	Smuggled Gold	4004

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२४७	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	४००४
२२४८	शरणार्थियों के लिये रियायतें	४००५
२२४९	आय–कर विभाग में पदोन्नतियां	४००५
२२५०	दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में "रोहा रोग"	४००६
२२५१	उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पताल	४००६
२२५२	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्य	४००६
२२५३	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	४००६–०७
२२५४	दिल्ली में विवाहित नर्सों के लिये क्वार्टर	४००७
२२५५	उड़ीसा का विकास	४००७–०८
२२५६	उड़ीसा में मेडिकल कालिज	४००८
२२५७	सन्तुलित भोजन	४००८–०९

मंत्री का परिचय ४००९

(श्री त्यागी)

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४००९—११

अनुदानों की मांगें ४०११—३७

वित्त मंत्रालय ४०११—३६

श्री मी० रु० मसानी ४०१२–१३

डा० उ० मिश्र ४०१३—१५

श्री उस्मान अली खां ४०१५–१६

श्री कृ० च० पन्त ४०१६—२०

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी ४०२०–२१

श्री करुथिरमण ४०२१—२३

श्री फ० गो० सेन ४०२३–२४

श्री बालकृष्ण सिंह ४०२४–२५

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ४०२५

श्री पा० ना० कयाल ४०२६

श्री के० दि० मालवीय ४०२६—२८

श्री रामेश्वरानन्द ४०२८–२९

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ४०२९–३०

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ४०३०—३२

श्री लीलाधर कटकी ४०३२

श्री स० मो० बनर्जी ४०३२–३३

श्री ति० त० कृष्णमाचारी ४०३३–३६

अणु शक्ति विभाग, संसद्-कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य सभा तथा उप-राष्ट्रपति का सचिवालय ४०३६–३७

Unstarred Questions No.	Subject	PAGE
2247	International Monetary Fund	4004
2248	Concessions for Refugees	4005
2249	Promotions in Income Tax Department	4005
2250	Trachoma among Delhi University Students	4006
2251	Homoeopathic Hospitals in U.P.	4006
2252	Delhi Flood Control Works	4006
2253	Development of Backward Areas	4006–07
2254	Quarters for Married Nurses in Delhi	4007
2255	Development of Orissa	4007–08
2256	Medical Colleges in Orissa	4008
2257	Balanced Diet	4008–09
	Introduction of Minister (Shri Tyagi)	4009
	Papers laid on the Table	4009—11
	Demands for Grants	4011—37
	Ministry of Finance	4011—36
	Shri M. R. Masani	4012–13
	Dr. U. Misra	4013—15
	Shri Osman Ali Khan	4015–16
	Shri K. C. Pant	4016—20
	Shri Sivamurthi Swamy	4020–21
	Shri Karuthiruman	4021—23
	Shri P. G. Sen	4023–24
	Shri Bal Krishna Singh	4024–25
	Dr. L. M. Singhvi	4025
	Shri P. N. Kayal	4026
	Shri K. D. Malaviya	4026—28
	Shri Rameshwaranand	4028–29
	Shri Surendranath Dwivedy	4029–30
	Shri P. R. Chakraverti	4030—32
	Shri Liladhar Kotoki	4031
	Shri S. M. Banerjee	4032–33
	Shri T. T. Krishnamachari	4033—36
	Department of Atomic Energy, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha and Secretariat of the Vice-President	4036

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

१६ अप्रैल, १९६४ । २७ चैत्र, १८८६(शक) का शुद्धि-पत्र

संख्या ३९७२,ऊपर से सत्रहवीं पंक्ति, सदस्या का नाम

पं० ना० कमाल ' के स्थान पर ' श्री प०ना० क्याल ' पढ़िये ।

संख्या ३९७९, ऊपर से सातवीं पंक्ति, सदस्य का नाम

रु० चं० सामन्त' के स्थान पर ' श्री स० चं० सामन्त' पढ़िये ।

संख्या ३९९३, अतारांकित प्रश्न संख्या २२२२ का शीर्षक

निम्नलिखित पढ़िये :

"Mobile Bar in Delhi"

संख्या ३९९९, ऊपर से इक्कीसवीं पंक्ति, '(ख)' के स्थान

' (ख) और (ग)' पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, १६ अप्रैल, १९६४/२७ चैत्र, १८८६ (शक)

Thursday, April 16, 1964/Chaitra 27, 1886 (Saka)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई]

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न । श्री महेश्वर नायक ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, क्या सभा को नये मन्त्री महोदय का परिचय नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: संसद्-कार्य मन्त्री उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी ।

श्री हेम बरुआ : आप उनका परिचय दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : हम सब उनको भली भांति जानते हैं । श्री विश्वनाथ पाण्डेय ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु अब तो उनका कायाकल्प हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बेरवा :

Shri Onkar Lal Berwa : Question No. 1068.

गंगा के जल का विद्युत् परियोजना के लिये उपयोग

\+

*१०६८. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री शा० ना० चतुर्वेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के जल का उपयोग करके एक विद्युत् परियोजना प्रारम्भ करने की दृष्टि से सर्वेक्षण किये जाने का आदेश दिया है ;

(ख) परियोजना के चालू होने पर अनुमानित विद्युत् उत्पादन कितना होगा और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य को उसके सवक्षण कार्य में और अन्य रूप में क्या सहायता दे रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सी जल-विद्युत् परियोजना के बारे में अनुसन्धान कर रही है, जिनमें गंगा नदी के जल का उपयोग किया जायेगा ।

(ख) गंगा नदी के बेसिन की कुल विद्युत् क्षमता लगभग ४० लाख ८० हजार किलोवाट है। लागत सम्बन्धी अनुमान अभी तक नहीं लगाये गये हैं । हरिद्वारा तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की विद्युत् उत्पादन क्षमता लगभग १६ लाख किलोवाट है ।

(ग) अनुसन्धान कार्य के लिये केन्द्र द्वारा उपकरणों के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है, जसे कि सर्वेक्षण कार्य के लिये सूक्ष्म मापक यन्त्र, भूतत्वीय अनुसन्धान के लिये छिद्रण उपकरण ।

Shri Onkar Lal Berwa : What will be the total expenditure on these projects and out of it how much will be spent on the present project ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, इन परियोजनाओं की लागत के बारे में अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Will any foreign assistance be sought for this project ?

डा० कु० ला० राव : विदेशों से किसी प्रकार की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । इन कार्यों को हम स्वयं भी कर सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : On how many sites this survey is being conducted and when this work will be completed ?

डा० कु० ला० राव : हरिद्वार से ऊपर गंगा नदी में लगभग आठ महत्वपूर्ण स्थल हैं और इस समय लगभग तीन स्थलों पर अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ।

Shri K. N. Tiwary : In which other States, besides Uttar Pradesh, through which river Ganga passes, such projects for generation of hydro-electric power are under investigation.

डा० कु० ला० राव: गंगा नदी का बेसिन कई अन्य राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, और इसलिये इन राज्यों में से प्रत्येक में ऐसी परियोजनायें हैं, जसे यमुना, चम्बल इत्यादि ।

भारत सहायता संगठन (कंसोर्टियम)

+

श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहन स्वरूप :
*१०६९. श्री इम्बोचिबावा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अल्वारेस :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष मार्च में हुई भारत सहायता संगठन (कंसोर्टियम) की बैठक में बिना किसी शर्त पर और सहायता दिये जाने के अपने मामले पर बल दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में भारत ने क्या मांग की थी और उस पर सहायता देने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च में जो बैठक हुई थी वह प्रारम्भिक थी; भाग लेने वाले विभिन्न देशों के निर्णय २६ मई को होने वाले घोषणात्मक अधिवेशन[1] में उपलब्ध होंगे । उस समय तक इस मामले को गोपनीय रखा जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that it will be treated as confidential till then. May I know as to how much aid India anticipates to get ?

[1]Pledging Session.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : I have stated in the reply itself that it is being treated as confidential. Our.....

Mr. Speaker : If they state it to day that they will get or expect to get this much of aid them they might be fold by the participant countries in the pledging session that they would be given only that much of aid as estimated and probably we may not get more than that. Therefore it should not be disclosed.

Shri Bibhuti Mishra : It has been stated that this amount cannot be disclosed, but may I know whether we expect to get it or to what extent we expect to get it.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The response of the member countires is encouraging and they are very helpful and as such it is expected that we would get a pretty good amount as aid.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या चतुर्थ योजना के पूर्वानुमानों को देखते हुए हमारी सरकार ने अपनी मांग अथवा प्रार्थना इस संगठन (कंसोर्टियम) के सम्मुख रखी है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह प्रश्न इस वर्ष मार्च में हुई बैठक के सम्बन्ध में है। हम एक-एक वर्ष के लिये संगठन (कंसोर्टियम) के सदस्य देशों के सम्मुख अपनी मांग रखते हैं, जब वे हमारी एक वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं तो हम दूसरे वर्ष की आवश्यकताओं की मांग उनके सम्मुख रखते हैं। यह मांग एक-एक वर्ष की आवश्यकता के आधार पर की जाती है और बैठक में ही हम यह जान लेते हैं कि हमें उनसे किस प्रकार की और कितनी सहायता मिल सकेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त क्या हम प्रविधिक सहायता और प्रविधिक सलाह भी प्राप्त करने का प्रत्यन कर रहे हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उसका इस बात के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस संगठन के सदस्य देश अभी तक हमें किन्हीं शर्तों पर ही सहायता देते रहे हैं अथवा बिना किसी शर्त के सहायता देते रहे हैं, और यदि वे बिना किसी शर्त के सहायता देते रहे हैं तो कितने देश इस प्रकार की सहायता देते रहे हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : शर्तों पर और बिना किसी शर्त के दोनों ही प्रकार के ऋण हमें दिये जा रहे हैं। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हम यह समझाने का प्रयत्न करते रहे हैं सहायता देने के मामले में उसे घटाने-बढ़ाने की अधिक व्यवस्था रखी जानी चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : यह क्या उत्तर दिया गया है। मैं तो यह जानना चाहता था कि कितने देश हमें शर्तों पर सहायता दे रहे हैं और कितने बिना किसी शर्त के। इसका उत्तर तो मुझे मिला ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल बिना किसी शर्त की सहायता के सम्बन्ध में था।

Shri Onkar Lal Berwa : How many countries out of those to whom we made our suggestions for giving as untied aid have accepted them and what were the reactions of different countries ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : This is what I have stated in my reply. I have stated that negotiations are going on but it is being treated as confidential as yet. It does not appear proper to say anyting regarding that unless a final decision regarding the amount is taken.

Shri Onkar Lal Berwa : What are the names of those countries which have accepted our demands

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Consortium is a composite body of all the countries and a decision is taken only after having a collective opinion of member countries.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस गत अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए कि किन्हीं शर्तों पर मिले ऋणों का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया है, क्या इस संगठन (कंसोर्टियम) में भाग लेने वाले सदस्य देशों से यह कहा गया है कि वे हमें किन्हीं शर्तों पर ऋण देने की अपेक्षा बिना किसी शर्त के ऋणों को विशेष रूप से देने की बात पर विचार करें, और यदि हां, तो हमें इसमें किस हद तक सफलता मिली है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी, हां । समय समय पर हमने उन पर यह जोर दिया है कि वे ऋणों के देने के मामले में अधिक लचीलापन रखें जिससे कि हम भी थोड़े बहुत फेरबदल कर सकें और अपनी आर्थिक व्यवस्था में वास्तव में लचीलापन बनाये रख सकें ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : प्रतिक्रिया अच्छी है ।

Shri R. S. Tiwary : This is untied loan, what is the definition of the word untied ? Could this money be spent according to ones own preferences or it could be spent only on a specified item?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : We are a free country and why should we tread upon the path shown to us by others. We are independent, so is our planning as also our principles. Often it happend that we sit and confer with one another, there is exchange of views and if some of the suggestions offered there are good certainly we adopt these for our country.

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिये, जिनको कि ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् प्राथमिकता दी जाती थी, ऋणों की प्राप्त करने की हमारी पहली नीति उपयोगी सिद्ध हुई थी और उससे उन विशिष्ट परियोजनाओं का सम्पादन भी सुनिश्चित होता था, इसका क्या कारण है कि फेर-बदल के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये सरकार अधिकाधिक संख्या में इन बिना शर्त के ऋणों कों लेना चाहती है ? क्या इससे बिना सोचे समझे व्यय नहीं होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी, नहीं ।

श्री रंगा : तो फिर आप क्यों इस प्रकार के ऋण मांग रहे हैं ? हमको इसके कारण बताये जाने चाहियें ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय उपमन्त्री ने जो कुछ कहा है वह मेरी समझ में नहीं आया है । यदि कोई ऋण बिना किसी शर्त का है तो उसमें फेर-बदल नहीं किया जा सकता । उसमें कहीं कुछ न कुछ बन्धन अवश्य होना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना किसी शर्त के ऋणों में फेर-बदल किस प्रकार की जा सकती है ।

श्री रंगा : वे जिस प्रकार चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : किन्हीं शर्तों पर मिलने वाले ऋण किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिये होते हैं अथवा किन्हीं विशेष देशों के साथ सम्बद्ध होते हैं अर्थात् हमें अपना आवश्यक उपकरण उन देशों से ही मंगाना पड़ता है। कभी कभी उन देशों में उसकी लागत अधिक होती है। हम इन दोनों ही शर्तों से कुछ विरत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो ऋण किन्हीं विशेष परियोजनाओं के ही लिये नहीं मिलते हैं उनके कुछ भाग को हम बहुपक्षीय मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जिन्हें कि हम निर्बाध विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं कर सकते। 'फेर बदल' शब्द का अर्थ शायद कुछ उचित नहीं है, परन्तु इस ऋण के मामले में ऐसी कोई अनुचित बात नहीं है इसका आश्वासन मैं माननीय सदस्य को देता हूं।

Shri Yashpal Singh : Will we be required to pay only services charges for these loans or any interest also on them? If interest is to be paid, what would be its rate ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : We will have to pay interest on the loans we take.

परिवार नियोजन

\+

*१०७०. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तन सिंह :
डा० प० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन बंध्यीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने की तिथि से लेकर ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल कितने व्यक्तियों का वंध्यीकरण किया जा चुका है तथा उनमें पुरुषों और महिलाओं की पृथक् पृथक् संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): जनवरी, १९५६ से जनवरी, १९६४ के अन्त तक सरकारी संस्थाओं तथा चिकित्सालयों में वन्ध्यीकृत व्यक्तियों की संख्या ५,४७,००३ है (३,४२,२३१ पुरुष तथा २,२,०४,७७२ महिलायें)।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the amount that we have spent so far on this scheme and what steps we rre taking to expand it.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : We have not kept any separate account of the amount spent on sterilisation. If the hon. Member gives notice, we will collect the information. Sterilisation is one of the items under the general family planning scheme.

Shri Onkar Lal Berwa : Is it a fact that the Muslims have opposed this scheme and only Hindus have been sterilised ?

Dr. Sushila Nayar : There is no caste consideration as such but, as I have already stated, generally the catholic community has opposed it and it has not become very popular among the Muslims also.

Shri Onkar Lal Berwa : How many Muslims have been sterilised ?

Shri Tan Singh : To what extent the figures given upto the 31st January, 1964 fall short of the envisaged target and the reasons thereof.

Dr. Sushila Nayar : The number is increasing day by day and year by year. We cannot prejudge how many would be sterilised but what we want is that all kinds of family planning methods should reduce the birthrate to 20 at 1000 immediately.

श्री राम सहाय पाण्डेय : वन्ध्यीकरण के अतिरिक्त मंत्रालय ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और किन तरीकों का सुझाव दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल केवल बन्ध्यीकरण के बारे में है।

Shri Kashi Ram Gupta : Will the hon. Minister be pleased to state which age group is mostly encouraged for it and whether persons upto the age of 25 years are discouraged or not.

Dr. Sushila Nayar : Those couples who have three children and who give in writing are operated upon.

Shri Kashi Ram Gupta : Is age no consideration ?

Mr. Speaker : There is no limit for you.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार ने सन्तति निग्रह के उपाय के रूप में तरंग प्रणाली को निर्धारित किया है और लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री का ध्यान कुछ समय पहले एक ब्रिटिश संसद् सदस्या के इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि तरंग प्रणाली पाप है क्योंकि इससे पुरुष तथा नारी की स्वाभाविक भावनाओं पर रोक लगती है और यदि हां, तो क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू की जांच की है ?

अध्यक्ष महोदय : तरंग प्रणाली को हम कहीं और आजमायेंगे। इस समय तो केवल वन्ध्यीकरण है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि बावजूद इस बात के कि दूरस्थ गांवों के लोग ऐसे बन्ध्यीकरण के लिये तैयार हैं, उपलब्ध सुविधायें बहुत ही कम हैं और जिला मुख्यालयों तक ही सीमित हैं तथा गांवों में अभी वे नहीं पहुंची हैं ?

डा० सुशीला नायर : यह ठीक नहीं है। हां, विभिन्न राज्यों में जो काम हुआ है उसकी मात्रा में अन्तर है। परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने, विशेषत: महाराष्ट्र तथा मद्रास ने, खंड मुख्यालय में शिविर आयोजित किए हैं जो बहुत सफल रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस सरकार की सार्वजनिक नीति अब आचारिक तथा धार्मिक विचारों से अधिक महत्व अधिक बातों को देने की है ?

डा० सुशीला नायर : एक को दूसरे से अधिक महत्व देने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं नहीं समझती कि हमने धार्मिक और आचारिक सिद्धान्तों के विरुद्ध कुछ किया है । यह तो पूर्णत: स्वैच्छिक कार्यक्रम है और किसी को विवश नहीं किया जाता ।

श्री कपूर सिंह : जब एक स्वैच्छिक कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रवर्तित किया जाता है तो क्या उससे आचारिक और धार्मिक सिद्धान्तों की अवज्ञा नहीं कर सकता ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि धनी परिवारों में सन्तति निग्रह के बिना कोई बच्चे नहीं होते जब कि गरीब परिवारों में बच्चों की बाढ़ आई रहती है । इसका कारण क्या है ?

श्री हेम बरूआ : इस बारे में मैं बर्ट्रांड रस्सल को उद्धृत कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सुजननता आहार पौष्टिकता के साथ व्युत्क्रमानुपात में बदलती है । यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Are the advantages of 'brahmacharya' mode of living propagated under the family planning programme

Dr. Sushila Nayar : Yes Sir, that is done.

Shri R. S. Tiwary : Has any attention been paid to the fact that the population of that community which resists family planning would go on increasing while the population of the community which favours it would reduce?

Dr. Sushila Nayar : The family or community which is careless about it will not be able to achieve a higher standard of living.

Opposition to family Planning Schemes

***1071. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some individuals or organisations in the country are campaigning against the family planning schemes of Government;

(b) whether Government have received communications to this effect;

(c) if so, the action taken against those opposing the policy of Government; and

(d) if no action has been taken so far, the reasons therefor ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No Sir, at present there is no organised campaign against family planning schemes. Some individuals have however expressed opinion against Family Planning from time to time.

(b) Objections have been received from individuals.

(c) and (d). The expression of views for or against family planning is not a matter for action other than education of public opinion in favour of family planing.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has just stated that there are some people who are working against family planning. The Hon. Home Minister had mentioned in a similar statement a few days ago about a M.P. who says that this runs counter to his religion. Are any attempts being made to find a middle way when on one hand, Government is spending crores of rupees on it and, on the other hand, people are speaking against it ?

Dr. Sushila Nayar : Public opinion is being educated in favour of this programme. If our propaganda is more effective, the propaganda of the opponents would be ineffective.

Shri Prakash Vir Shastri : Has Govt. received such reports that a particular religious sect has launched a compaign against family planning as it is against their religion and speeches are delivered against it at their religious places? What is being done by the Govt. in this regard?

Dr. Sushila Nayar : Except the Catholic religion there is no other religion inside the country or without which opposes this programme as such.

Shri Prakash Vir Shastri : Speeches are delivered in mosques at many places.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the extent of success achieved by steps taken so far regarding family planning, such as sterilisation?

Dr. Sushila Nayar : I have told in reply to an earlier question that in the beginning there were only isolated cases of operation at various places but now there are lakhs of such cases.

Shri Ram Sewak Yadav : What has been the effect ?

Mr. Speaker : For that you will have to wait.

श्री प० ना० कयाल : जब मुस्लिम विधियों को, जोकि परिवार नियोजन का विरोध करती हैं, इस देश में चलने दिया जाता है तो परिवार नियोजन कैसे सफल हो सकता है जहां तक इस समुदाय विशेष का सम्बन्ध है ?

डा० सुशीला नायर : हम भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिये काम करते हैं, मुसलमानों, हिन्दुओं, सिखों और ईसाइयों के लिये अलग अलग नहीं ।

श्री प० ना० कयाल : मुस्लिम विवाह विधि विद्यमान है ।

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that Gandhiji held that family planning through operation is the greatest sin? What would Gandhiji's soul in heaven be thinking of the hon. Health Minister?

Mr. Speaker : You alone can tell about heaven; what information you can have from the Minister in this regard. How can she tell about heaven ?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने हिटलर के शासन काल की न्यूरमबर्ग विधियों के अनुसार पश्चिम जर्मनी में वन्ध्यीकरण के बारे में हाल ही में की गई जांच के परिणामों का तथा उसके भीषण मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन किया है ?

डा० सुशीला नायर : हिटलर की प्रणालियों के प्रभावों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती । हिटलर की प्रणालियों के पीछे कतिपय विचारधारायें थीं और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उन्हें कार्यान्वित किया गया था । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने शारीरिक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और हमने वन्ध्यीकरण के कोई बुरे प्रभाव नहीं देखे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the total expenditure incurred on this scheme ever since its inception and what is the annual expenditure? Has Govt. received any complaints that the villagers are afraid of this scheme?

Dr. Sushila Nayar : There is no such complaint that the villagers are afraid of it. About expenditure I said in the beginning that I do not have the figures. If the hon. Member writes to me, I will supply the figures.

Shri Bibhuti Mishra : Some doctors are of the opinion that if somebody is made impotent, it tells upon his physical strength. Has Govt. carried out any investigation in this regard?

Mr. Speaker : You may consult your doctor.

Shri Bibhuti Mishra : Government should tell whether it has looked into it or not?

Mr. Speaker : You may consult the doctor whom you trust.

Shri Bibhuti Mishra : What is the Government's view?

श्री अ० प्र० जैन : क्या मैं जान सकता हूं कि यान्त्रिक तथा खाये जाने वाले गर्भ निरोधकों में अब तक क्या महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुए हैं ?

डा० सुशीला नायर : खाये जाने वाले गर्भ निरोधकों तथा गर्भ निरोध के लिये कुछ यांत्रिक तरीकों के बारे में काफी काम किया जा चुका है। जहां तक खाये जाने वाले गर्भ निरोधकों का सम्बन्ध है, उन्हें काफी प्रभावी पाया गया है परन्तु जहां तक भारत में इसके व्यापक इस्तेमाल का सम्बन्ध है, इसमें दो कमियां हैं। पहली .....

श्री अ० प्र० जैन : मैं अनुसन्धान का ब्यौरा जानना चाहता हूं, ये सारी बातें नहीं।

डा० सुशीला नायर : अनुसन्धान से पता चला है कि वे प्रभावी हैं परन्तु खाये जाने वाले गर्भ निरोधकों के परिणामस्वरूप टांगों में थ्राम्बोफ्लीबिटिस के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि श्रमिक वर्गों में परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुए हैं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि बर्ट्रांड रस्सल के इस कथन के प्रति माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है कि इन लोगों में ये कार्यक्रम इसलिये सफल नहीं हुये क्योंकि आर्थिक रूप से अभागे इन लोगों के लिये मैथुन ही एक मात्र मनोरंजन है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या श्रमिक वर्गों में यह सफल नहीं हुआ है ?

डा० सुशीला नायर : यह ठीक नहीं है, श्रीमान् ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि परिवार नियोजन योजना का थोड़ा बहुत विरोध उन्हीं अशिक्षित लोगों के द्वारा होता है जिनमें नैतिक पतन आ जाता है, और यदि हां, तो इन लोगों को शिक्षित करने तथा उनमें इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगी कि वह उन रिपोर्टों को पढ़ें जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई हैं ; लोगों को शिक्षा देने के लिये बहुत काम हो रहा है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० सी० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री के पास यह सिद्ध करने के लिये कोई आंकड़े हैं कि किस पेशे के लोगों के सब से ज्यादा बच्चे होते हैं और क्या उस पेशे की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम ठीक स्थान से आरम्भ हो ?

डा० सुशीला नायर : कोई खास पेशा नहीं है परन्तु तथ्य यह है कि निर्धन वर्गों में बच्चे अधिक होते हैं जिसका कारण यह है कि जैसे जैसे जीवन का स्तर ऊंचा उठता है, लोगों की रुचि अपने परिवारों को छोटे से छोटा करके जीवन-स्तर को सुधारने में होती है ।

(प्रश्न संख्या १०७२ के बारे में)

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न संख्या १०७२ । श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न प्रधान मंत्री के लिये है। मैं मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने का स्वागत करूंगा परन्तु वह अगली पंक्ति से उठ कर दूसरी पंक्ति में चले गये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान् । मैं आपका ध्यान इस पुस्तिका की ओर दिलाता हूं—विषय जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग उत्तरदायी हैं । पृष्ठ, ३४, मद २९—मैं समझता हूं यह पुस्तिका आपके पास है, श्रीमान्—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है और वहां यह मद है—पाकिस्तान से गैर-मुसलमानों का प्रव्रजन तथा भारत से मुसलमानों का प्रव्रजन । मेरे माननीय सहयोगी ने पिछली बार यह बात उठायी थी और मैं समझता था कि गलती ठीक कर ली गई होगी तथा इसका हस्तांतरण दोबारा प्रधान मंत्री को कर दिया जायेगा । यह वैदेशिक मामलों से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुनर्वास मंत्री द्वारा आज इसका उत्तर दिया जाना चाहिये । यदि आज नहीं तो सोमवार, २५ तारीख को प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दिन इसकी व्याख्या की थी ; इसे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को भेजा गया और अपनी आन्तरिक व्यवस्था के अनुसार उन्होंने उचित समझा कि .....

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, आप इसका निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह मेरी बात न सुने, वह कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ? इसलिये मैंने मंत्रालय से कहा कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का कोई मंत्री इसका उत्तर देने के लिये भी उपस्थित होना चाहिये । इसलिये वह उपस्थित हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं जान सकता हूं कि जब दो मंत्रालयों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कौन उत्तर दे तो कौन उसका निर्णय करता है ? आप या मंत्री ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे सहमत हो जाते हैं कि कौन सा मंत्रालय उत्तर दे तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता ।

भारत तथा पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण

\+

*१०७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के बाद कितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान तथा कितने हिन्दू पाकिस्तान से भारत सामूहिक रूप से आये ;

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति विवरण क्या है ; और

(ग) इससे भारतीय अर्थ व्यवस्था पर कितना भार पड़ा है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). विभाजन के बाद लगभग ९० लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं। इसमें हाल ही में आने वाले प्रव्रजक शामिल नहीं हैं। जो लोग भारत से पाकिस्तान गये उनकी अनुमानित संख्या कोई ६० लाख है।

(ग) अनुमान है कि भारत सरकार ३१ मार्च, १९६४ तक उन्हें सहायता देने तथा फिर से बसाने इत्यादि पर लगभग ५०० करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। खर्च अभी हो रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विभाजन के बाद, विशेषत: हाल ही के वर्षों में, लोग केवल पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हैं। इसे देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इन तथ्यों का पता क्यों नहीं है ? इस देश में लगभग ५ करोड़ मुसलमान हैं। क्या कारण है कि इन चीजों का ईराक के राष्ट्रपति, श्री फ्रैंक एन्थनी और शेख अब्दुल्ला तक को पता नहीं ? इस बारे में सरकार का प्रचार क्या है ? वह क्या करना चाहती है और पाकिस्तान सरकार पर क्या दबाव डालना चाहती है ताकि वहां से यह अमानवीय सामूहिक निष्क्रमण बन्द हो ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है .....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह प्रश्न प्रधान मंत्री के लिये है और पुनर्वास मंत्री से मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है ।

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसाकि सदन को ज्ञात है यह मामला बड़ा गम्भीर हो गया है और पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर भारत में प्रव्रजन हो रहा है। इस बारे में सरकार ने जो कदम उठाये हैं सभा उनसे भली भांति परिचित है। यह ठीक है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से किया गया बर्ताव बड़ा निन्दनीय है और इससे वहां के अल्पसंख्यकों को बड़ी परेशानी और यातना उठानी पड़ी है ।

सभा को पूरी तरह से ज्ञात है कि कुछ समय पहले पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों के होते ही हमारे राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अनुरोध किया था या अपील भेजी थी कि वह अपने गृह-कार्य मंत्री को बातचीत के लिए यहां भेजें परन्तु वह माने नहीं। बाद में प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखा और उन्होंने उत्तर दिया। दोनों गृह-कार्य मंत्री मिल चुके हैं और उन्होंने बड़े विस्तार में जाकर समस्या का अध्ययन किया है। कुछ एक बातों पर समझौता हो गया है जैसाकि गृह-कार्य मंत्री ने बताया है। परन्तु कुछ बातों पर मतभेद भी था। उनका फिर मिलने का विचार है ।

प्रचार के बारे में जहां तक मैं जानता हूं भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी सैंकड़ों क्या हजारों बार बताया गया है कि भारत में कितने मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और मझे विश्वास है कि सारा संसार जानता है कि इस बारे में हमारी नीति पूर्णत: धर्म निरपेक्ष है। हां, इसे बार बार दुहराना पड़ता है परन्तु मैं नहीं समझता कि इसमें प्रचार की क्या कमी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि आसाम के मुख्य मंत्री तथा उस राज्य के लोगों के सभी वर्गों ने जोरदार मांग की है कि अवैध रूप से घुस आये लोगों को निकालने

में ढील न की जाये ? क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और वह यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठा रही है कि एक निश्चित तिथि तक आसाम से अवैध रूप से आने वालों को निकाल दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : कल गृह-कार्य मंत्री ने इन सारी बातों का विस्तृत उत्तर दिया था ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जी नहीं । मैं आसाम के मुख्य मंत्री के अभी हाल ही के वक्तव्य के निदेश में पूछ रहा हूं और यह भी कि क्या उस राज्य में सभी वर्गों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि कल उत्तर देते हुए गृह-कार्य मंत्री ने बताया था कि इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, वह क्या कर रही है और वह आगे क्या करना चाहती है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वे कब तक अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को आसाम से निकालने का विचार रखते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह भी बताया गया था ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, the Census Report of 1961 reveals that since Partition Muslims from Pakistan have come to Assam, Tripura and West Bengal in large numbers and their number has considerably swelled in the border areas of India, particularly in some districts of Rajasthan and Punjab. Is Govt. aware of this situation and what action is being taken by it to defend the border areas ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I do not think they have come in large numbers to other states except Bengal and Assam....

Shri Prakash Vir Shastri : The border areas like Rajasthan and Punjab....

Shri Lal Bahadur Shastri : As far as I know, the Govt. of Rajasthan is fully seized of the situation and the Central Govt. is also fully aware.

श्रीमती रेणुका राय : पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले हिन्दुओं तथा पश्चिम बंगाल और आसाम से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की कुल संख्या क्या है ?

श्री पू० शे० नास्कर : आंकड़े मैंने दे दिये हैं । मार्च, १९५८ तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग ४२ लाख थी । १९५८ के बाद हम ने प्रव्रजन प्रमाणपत्रों की प्रणाली आरम्भ कर दी । १९५८ से दिसम्बर १९६३ तक के ठीक ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । परन्तु पूर्वी पाकिस्तान में हाल ही के दंगों के कारण आज तक अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग २,५०,००० व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय ने भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत को सामूहिक निष्क्रमण की कुल संख्या दी है । मैं जानना चाहती हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने हिन्दू भारत आये हैं और कितने मुसलमान पश्चिम बंगाल तथा आसाम से पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं ।

श्री पू० शे० नास्कर : मैं ने बताया है कि कुल ६० लाख व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गये । पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : क्या वह सभा-पटल पर रख देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रख दिया जाये ।

श्री पू० शे० नास्कर : मैं रख दूंगा ।

श्री लीलाधर कटकी : पूर्वी पाकिस्तान से आसाम और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में हाल ही में आये प्रव्रजकों के अलग अलग आंकड़े क्या सरकार के पास हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि प्रव्रजकों में हिन्दुओं के अतिरिक्त आदिवासी कितने हैं और ईसाई कितने हैं ?

श्री पू० शे० नास्कर : विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के अलग अलग आंकड़े मैं नहीं दे सकता परन्तु मैं ईसाइयों तथा आदिवासियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या बता सकता हूं जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर सीमा को पार किया है । अब तक आसाम में ६०,००० व्यक्ति आये हैं, त्रिपुरा में ३५,००० और पश्चिम बंगाल में लगभग १,४५,००० । अधिकतर ईसाई और आदिवासी, जिनकी संख्या अनुमानत: ४०,००० है, आसाम में आये हैं । मेरे पास धर्म-वार आंकड़े नहीं हैं कि कितने ईसाई हैं और कितने हिन्दू हैं ।

Shri M. L. Verma : Is Government contemplating any measures to meet the huge financial burden cast upon India by the rehabilitation of refugees?

Shri Lal Bahadur Shastri : Yes, Sir, the burden is quite heavy and has considerably increased but in spite of all these difficulties it is a big responsibility on India and the Government of India is doing its best in this connection.

श्री बसुमतारी : क्या मैं जान सकता हूं कि अवैध रूप से घुसने वालों की संख्या के बारे में प्रतिवाद को हल करने और तथ्य का पता लगाने के लिये क्या व्यवस्था है ? आसाम सरकार कहती है कि संख्या केवल १२,००० है, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री गृह-कार्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि संख्या २.५ लाख से ३ लाख तक है और कुछ अन्य स्रोत कहते हैं कि ७ लाख है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अवैध रूप से घुसने वालों की संख्या निर्धारित की गई है क्योंकि इससे राज्य में विवाद उत्पन्न हो गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: : यह ठीक है कि आसाम सरकार ने पहले आंकड़ों का पूरी तरह से सत्यापन नहीं किया था और इसलिये आसाम के मुख्य मंत्री ने कुछ आंकड़े बता दिये । परन्तु उन्होंने कहा था कि ये अन्तिम आंकड़े नहीं हैं तथा आसाम सरकार आगे जांच कर रही है । कुछ समय पहले मैंने कहा था कि संख्या २.५ लाख से ३ लाख तक है और जहां तक मैं जानता हूं यह सच भी है । आसाम सरकार इससे पूर्णत: सहमत थी । अत: इस बात पर आसाम सरकार तथा केन्द्रीय सरकार में कोई मतभेद नहीं है ।

Shri Yogendra Jha : The Minister without Portfolio has stated that ours is a secular State and we are proud of the fact that our Govt. follows secularism but in view of the heavy strain on our economic growth caused by the large numbers of refugees coming over from Pakistan, I would to like to know whether Govt. has considered this question which has been suggested both in side the House and without that we should ask for some territory from Pakistan in order to rehabilitate these refugees. Has Govt. thought over it and if so, with what result?

Shri Lal Bahadur Shastri : As the House is aware, many points have been covered by the discussion on the Demands of the External Affairs Ministry and the Home Ministry. But we have not yet taken into consideration the point raised by the hon. Member. It has been considered necessary to attend to practical things first.

Shri Yogendra Jha : Mr. Speaker,.....

Mr. Speaker : Now you may sit down.

Shri Yogendra Jha : The hon. Member has said two things. Firstly that they are attending to the practical things which goes to show that he does not take this suggestion as practical and secondly, that they have not considered it. I want to know whether he thinks that it is not practical or it has not been thought over. His reply should be clean cut and not vague.

श्री दे० जी० नायक : क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला थारपरकर में कुछ हिन्दू आदिवासी हैं जिन्हें पाकिस्तान में तंग किया जा रहा है और जो भारत में आना चाहते हैं ?

श्री पू० शे० नास्कर : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान आज सुबह पाकिस्तान रेडियो के ब्राडकास्ट की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रियों की वार्ता का दूसरा दौर पाकिस्तान में होगा परन्तु उससे पहले हो सकता है कि भारत में मुसलमानों का फिर संहार हो ? मुझे डर है कि इसका पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और फिर निष्क्रमण हो सकता है । यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे पाकिस्तान के ध्यान में लाने को तैयार है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही घृणित प्रचार हो रहा है तथा क्या वह पाकिस्तान से कहेगी कि यदि वहां इसी तरह होता रहा तो इस मामले पर पाकिस्तान के साथ आगे कोई बातचीत नहीं हो सकती ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है । श्री अजित प्रसाद जैन ।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं ।

श्री हेम बरुआ : यह सुझाव नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है । यह ब्राडकास्ट आज सवेरे हुआ था । पाकिस्तान रेडियो का यह ब्राडकास्ट बड़ा घृणित है । वे कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का फिर नरसंहार होगा । मुसलमानों का यह नरसंहार कहां हुआ है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पाकिस्तान से होने वाले ब्राडकास्ट सामान्यतः सहायता पहुंचाने वाले नहीं होते परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस अन्तरिम काल में जब कि एक और बैठक होने वाली है, हम पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलायें तथा यह सुझाव दें कि कम से कम इस अवधि में ऐसी कोई चीज न कही जाये जिससे दोनों देशों में साम्प्रदायिकता को हवा मिले ।

श्री हेम बरुआ : क्या इस तरह की बात तय नहीं हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री अजित प्रसाद जैन ।

श्री हेम बरुआ : क्या इस तरह की बात तय नहीं हुई थी कि कोई ऐसा प्रचार न करे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : हुई थी । तो फिर . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न और उत्तर आपस में ही हो रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : वह कहते हैं कि ऐसी बात तय हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी आज्ञा नहीं दी है ।

श्री अ० प्र० जैन : १९ लाख मुसलमानों में से—मुझे आशा है कि मैं ठीक आंकड़े दे रहा हूं—जो भारत से पूर्वी पाकिस्तान गये हैं कितने लौट आये हैं और कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत में ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है और जिनके पास पासपोर्ट नहीं हैं ?

श्री पू० शे० नास्करा : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, it is a very important question. I rose many a time. I should be also be given an opportunity to ask a supplementary. (*Interruption*)

श्री प० ना० कमाल : उस दिन श्री फ्रैंक एन्थनी ने भारत में ईसाइयों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जो झूठी कहानियां सुनाई थीं उन्हें देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि कोई ईसाई अब तक प्रव्रजन करके पूर्वी पाकिस्तान चला गया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं ने अगला प्रश्न ले लिया है ।

उड़ीसा सरकार के लेखे का विशेष परीक्षण

*१०७३. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री ५ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के कार्यालय से सम्बद्ध जिस निरीक्षण निदेशक को उड़ीसा सरकार द्वारा की गई कुछ खरीदों से सम्बन्धित सौदों की विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिये भेजा गया था उसने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या कटक के दिनांक ५ मार्च, १९६४ के 'ईस्टर्न टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार में कुछ सचाई है कि यदि "उड़ीसा एजेन्ट्स" के द्वारा खरीद न की गई होती तो राज्य सरकार १ करोड़ २७ लाख रुपये की बचत कर सकती थी; और

(ग) यदि उक्त समाचार सच है, तो जांच के दौरान प्रगट हुई जानकारी के आधार पर केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को क्योंकि अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, यह कहना सम्भव नहीं है कि अखबारी समाचार कहां तक ठीक हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो क्या उन्होंने कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वस्तुतः उन्हें उड़ीसा एजेंट्स के बारे में समाचार की जांच करने को कहा गया था। बाद में यह भी निर्णय हुआ कि वह कलिंग ट्यूब्स तथा कलिंग इंडस्ट्रीज की विशेष लेखा परीक्षा करेंगे। इन सभी रिपोर्टों की प्रतीक्षा हो रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के सामान्य नियमों के अनुसार विशेष अधिकारी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को भेजी जायेगी। यदि कोई महत्वपूर्ण बातें हुई तो उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल को भेजी जाने वाली वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा। अभी तक कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं यह समझूं कि यह रिपोर्ट महालेखापरीक्षक के पास बिल्कुल नहीं भेजी जायेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं। पिछले उत्तर में कहा गया था कि यह जांच या उड़ीसा सरकार के कतिपय सौदों की लेखापरीक्षा की जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि किन सौदों के बारे में यह लेखा परीक्षा की जा रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सौदों का मुझे पता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि महालेखा-परीक्षक उड़ीसा सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। इस उड़ीसा सरकार को भेजे जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जायेगा। सौदों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें सौदों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कह सकता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सभा को कुछ पता नहीं चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : महालेखापरीक्षक को राज्य सरकार को सूचना देनी है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : रिपोर्ट चाहे राज्य सरकार के पास भेजा जाए परन्तु वे सौदे कौन से हैं जिनकी लेखा परीक्षा की जा रही है ? उसका पता नहीं है। विचित्र बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ सौदे बड़े संदिग्ध थे और उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का उनमें हाथ था और यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद यह प्रश्न महान्यायवादी के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा जाएगा कि क्या उनके विरुद्ध मामला चलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : बाद में क्या होगा उसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया जाए ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब महालेखापरीक्षक उड़ीसा सरकार के पास रिपोर्ट भेजेंगे तो हम उसकी एक प्रति मांग सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री का हाथ था ?

अध्यक्ष महोदय : पहले रिपोर्ट आने दीजिए।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि लेखा परीक्षा से एक बात का पता चला है कि श्री पटनायक की पत्नी तथा श्री बीरेन मित्रा की पत्नी के नाम में चलने वाली एजेंसियां द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और यदि हां, तो क्या राज्य लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच होगी और यदि जांच होगी तो क्या सरकार को ज्ञात है कि अब तक उन्होंने लोक लेखा समिति को पुनर्गठित कर लिया है और उन सभी कांग्रेसियों को निकाल दिया है जो स्वतन्त्र विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। राज्य लोक लेखा समिति के गठन में केन्द्र क्या कर सकता है ?

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जाए। क्या लेखापरीक्षित खातों से पता चला है .....

अध्यक्ष महोदय : वह सीधा-सादा प्रश्न पूछें। उन्होंने तीन या चार प्रश्न एक साथ किये थे। उनका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

श्री हेम बरुआ : मैं नई तकनीकी सीखने का प्रयास कर रहा हूं :

अध्यक्ष महोदय : सीखने की कोई बात नहीं है। हम तो उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : जी नहीं। प्रश्न यह है .....

श्री दी० चं० शर्मा : यदि वह दूसरे लोगों की पत्नियों के बारे में बात करेंगे जो यहां उपस्थित नहीं हैं तो क्या उससे लोक-सभा का स्तर न गिर जायगा ?

श्री हेम बरुआ : मैं श्री शर्मा पर छोड़ता हूं कि वह उनसे प्रत्यक्षतः मिलें। क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : क्या मुख्य मंत्री और उनकी पत्नी के बारे में कोई शिकायत थी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पता नहीं है ?

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न था .....

अध्यक्ष महोदय : मैं और अनुमति नहीं दूंगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस बात ने सरकार को अब तक यह काम करने से रोका है तथा क्या सरकार इसमें जल्दी करेगी क्योंकि बार बार यह प्रश्न सभा में उठता है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : संवैधानिक स्थिति का तो माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये महालेखापरीक्षक का स्वतन्त्र स्थान होता है। भारत सरकार के साथ उसका वही स्थान होता है जो उड़ीसा सरकार के साथ। इस बारे में उन्हें रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्वाभाविक है कि वह

उड़ीसा सरकार को भी रिपोर्ट देंगे। हम एक प्रति मांग सकते हैं। भारत सरकार तो यही कर सकती है कि जानकारी प्राप्त करके सभा के माननीय सदस्यों को दे दे। भारत सरकार उड़ीसा के मामलों से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है सिवाय विशेष उत्तरदायित्व के और यह मामला भारत सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं है।

श्री रंगा : मुझे हर्ष है कि वित्त मंत्री ने महालेखा परीक्षक की स्वतन्त्रता की एक बार फिर पुष्टि कर दी है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में जब भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के अधीन महालेखापाल काम कर रहा है तो फिर उन्होंने विशेष जांच का आदेश देना आवश्यक क्यों समझा ? क्या उड़ीसा सरकार ने स्वयं इसकी मांग की थी और यदि हां, तो क्या इसका कारण यह था कि उड़ीसा सरकार के पास कुछ शिकायतें की गई थीं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : कारण तथा उसके प्रभाव की पूरी स्थिति बताना मेरे लिये कठिन है। यह तो पूर्णतः स्पष्ट है कि महालेखापरीक्षक ने अपने आप ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि हो सकता है उन्हें इस मामले का पता न हो परन्तु मेरा विचार है कि उड़ीसा सरकार ने महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया था। महालेखापरीक्षक सक्षम है या नहीं, विशेष अधिकारी नियुक्त हो या न हो, यह एक ऐसी बात है जो पूर्णतः महालेखापरीक्षक के विवेक के क्षेत्राधिकार में है।

Thermal Power Station in Bikaner

*1074. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 100 MW thermal power station is proposed to be set up at Bikaner;

(b) if so, the parties that will assist in setting up this power station; and

(c) the extent and form of assistance to be given by the Central Government for this purpose?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Irrigation and Power (Shri S. A Mehdi): (a) to (c) A proposal to install a 100 MW thermal station at Palana, near Bikaner, is under consideration. The feasibility and economics of mining the lignite are under study. The question of assistance for the project does not arise at this stage.

Shri Onkar Lal Berwa : How long will it take to reach at a final decision on this question and how many villages will be electrified?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : लिग्नाइट प्राप्त करने के संबंध में प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, और एक विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जायेगा परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने गांवों को बिजली मिलेगी।

डा० कु० ल० राव : यह बिजली की उपलब्धता का प्रश्न है। १०० मेगावाट बिजली बनाई जायेगी और यह काफी होगी।

Shri Onkar Lal Berwa : What are the countries from which assistance will be sought. Will it be in the form of machinery or in some other form?

डा० कु० ल० राव : ऐसी हालत में सहायता का प्रश्न नहीं उठता। पहले परियोजना को तैयार किया जाना है।

श्री प० ना० कयाल : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् यह कि यह विचाराधीन है और इसका अध्ययन किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि परियोजना के तैयार होने में कितना समय लगेगा ?

डा० कु० ल० राव : यह बात उस अध्ययन पर निर्भर करती है जो राजस्थान सरकार को करना है। अनुमान है कि वहां पर २३० लाख टन लिग्नाइट है। अब विस्तृत अनुसंधान करना और यह सिद्ध करना कि २३० लाख टन की मात्रा उपलब्ध है राजस्थान सरकार का कार्य है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह अनुसन्धान केन्द्र द्वारा किया जा रहा है अथवा राज्यों द्वारा।

डा० कु० ल० राव : जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि दो वर्ष से अधिक समय पूर्व जर्मन विशेषज्ञों ने वहां पर लिग्नाइट की संभावना की जांच की थी और केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में प्रतिवेदन व्यर्थ है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय करने में क्या बात बाधक सिद्ध हो रही है।

डा० कु० ल० राव : पहले जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था वह प्रारम्भिक प्रतिवेदन था। परन्तु अब १०० मेगावाट का केन्द्र स्थापित करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहां पर उतना लिग्नाइट उपलब्ध है क्योंकि वहां पर जो २३० लाख टन लिग्नाइट बताया जाता है वह १०० मेगावाट केन्द्र के लिये केवल ५० वर्ष के लिये ही काफी होगा। इस लिये, हमें वहां पर लिग्नाइट की मात्रा के बारे में बड़ा ध्यान देना है और इसी लिये यह जानकारी मांगी गई है।

लागत अध्ययन दल

*१०७५ **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगवार और वस्तु-वार लागत संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग ने लागत अध्ययन दल स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इससे पूर्व भी लागत संबंधी अध्ययन किये गये थे और यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले थे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) लागत में कमी संबंधी अध्ययनों के लिये विशेषत: निर्यात को बढ़ावा देने के लिये योजना आयोग में एक विशेष सैल स्थापित करने का प्रश्न अभी भी योजना आयोग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में दिसम्बर, १९६३ में लागत घटाने संबंधी अध्ययनों पर विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की थी, और समिति से (क) वनस्पति तेलों, (ख) कपड़े, और (ग) सिलाई की मशीनों और साइकिलों के बारे में लागत संबंधी अध्ययन करने के लिये कहा गया था। समिति ने सूती कपड़े के बारे में अपना प्रतिवेदन १९६३ में उत्तरार्ध में दिया था और इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वित्त मंत्री और योजना आयोग के बीच योजना आयोग द्वारा प्रशासी कार्यों के करने के संबंध में मतभेद दूर हो गया है अथवा नहीं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह मामला योजना आयोग के क्षेत्र में कैसे आता है जब कि संबंधित मंत्रालय इसे पहले से ही कर रहा है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : दोनों में कोई भी मतभेद नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या योजना आयोग वह प्रशासी कार्य करेगा जिसे मंत्रालय भी कर रहा है। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय भी इस कार्य को कर रहा है। यदि हां, तो यह कार्य एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में क्यों चला गया है ? क्या मैं यह समझूं कि समाचार पत्रों के सब समाचार झूठे हैं और वास्तव में कोई मतभेद नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो समाचार आ रहे हैं वह सही नहीं हैं ।

श्री बासप्पा : क्या कोलार स्वर्ण खानों में उत्पादन की लागत कम करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और यदि हां, तो उसमें क्या सफलता मिली है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : कलकत्ता में पहले से स्थापित की गई लागत लेखापाल संस्था, और शायद एक संस्था बम्बई में भी है ; इस मांग को कहां तक पूरा कर सकी है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसके निर्देश पद बहुत व्यापक हैं। यह विशिष्ट वस्तुओं की लागत का गहन अध्ययन करेगी और उत्पादन लागत से संबंधित विभिन्न बातों का विश्लेषण करेगी। उन्हें एक ओर तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों को और दूसरी ओर उद्योगों, कृषि क्षेत्र और वाणिज्यिक हितों को सिफारिश करनी है जिससे कि (क) इन वस्तुओं पर विभिन्न भारों और महसूल को युक्तिसंगत बनाया जा सके . . . .

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरा प्रश्न यह नहीं है। कलकत्ता में पहले से स्थापित की गई संस्था में, और शायद बम्बई में, ये सब विषय वहां पर अध्ययन के लिये हैं। उनके पास इन विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। मंत्रालय की ओर से वे कहां तक इस मांग को पूरा कर सकी है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वह लागत लेखा पालन का जिक्र कर रहे हैं। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उद्योगपतियों के लागत सम्बन्धी अध्ययन के अपने तरीके होते हैं, वे विशेष कारण क्या हैं जिन की वजह से योजना आयोग ने इस मामले को दोबारा लिया ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह सच है कि उत्पादकता की ओर विभिन्न उद्योगों का ध्यान जा रहा हो। परन्तु, यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के व्यापार बोर्ड ने यह अनुभव किया कि योजना आयोग से यह निवेदन किया जाना चाहिये कि योजना आयोग संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कृषि की मुख्य और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, अर्थात्, पटसन, पटसन की वस्तुओं, गन्ना, चीनी, तम्बाकू आदि के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करे। इस क्षेत्र में योजना आयोग का अनुभव ध्यान में रखते हुए वह योजना आयोग से ऐसा कराना चाहते थे।

कोनार बांध

***१०७६. श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कोनार बांध के एक ओर "सीलन" दिखाई पड़ने लगी है ;

(ख) यह कब से देखी गई है; और

(ग) क्या इस सिलसिले में कोई जांच की गई है और क्या इससे बांध को कोई खतरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी हां। "सीलन" पहले नवम्बर, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में कोनार बांध की एक तरफ मिट्टी के बांध के नीचे की ओर देखी गई थी।

(ग) जांच की गई है और आवश्यक पूर्वोपाय किये जा रहे हैं। बांध को कोई खतरा नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : इसके पता लगने के पश्चात् क्या कोई बराबर निगरानी रखी जाती है ? यदि हां, तो क्या "सीलन" बढ़ गई है अथवा बराबर उतनी ही है ?

डा० कु० ल० राव : सीलन तक ही प्रतीत होती है जब जलाशय में पानी का स्तर काफी ऊंचा होता है। स्वभावतः निगरानी रखी जायेगी। वर्षा ऋतु के बाद ही जलाशय पूरा भर सकता है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सीलन धीरे धीरे बढ़ रही है अथवा उतनी ही है ?

डा० कु० ल० राव : सीलन बहुत मामूली है। यह वास्तव में इतनी नहीं है कि जिसका कोई महत्व हो। इसको दूर करने के लिये आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

सीलन बढ़ नहीं रही है। जैसा कि मैंने बताया, यह तब ही दिखाई पड़ती है जब जलाशय पूरा भरा होता है। पानी का स्तर गिर गया है। अतः अब सीलन नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : स्वतन्त्रता के बाद निर्मित कितने बांधों में अब तक सीलन, दराड़ और इस प्रकार की त्रुटियां हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कोनार बांध के सम्बन्ध में है ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह इस क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं । वह उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रु० चं० सामन्त : यदि सीलन दिन प्रतिदिन बढ़ गई तो उसका क्या बुरा असर पड़ेगा ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस बांध में दो जलाशय स्तर हैं । एक तो पूर्ण जलाशय स्तर है और दूसरा वह है जिसे हम बाढ़ के समय में पानी रोकने के लिये सामान्यतः ७ फुट नीचा रखते हैं । सामान्यतः जलाशय को नीचे वाले स्तर पर रखा जाता है और इसलिये सीलन नहीं होती । गत वर्ष जलाशय को भर दिया गया था और इसलिये सीलन दिखाई दी थी । मुझे विश्वास है कि जो पूर्वोपाय किये गये हैं उन से यह कठिनाई दूर हो जायेगी । इस वर्ष भी इसकी निगरानी रखी जायेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९.
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री कछवाय :
श्री शिंकरे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है —

(एक) कि नई दिल्ली की एक सरकारी बस्ती नेताजी नगर में गत एक मास से पानी का दबाव बहुत कम है ;

(दो) कि ऊपर की मंजिल के फ्लैटों में प्रतिदिन प्रातः ८ बजे ही पानी बन्द हो जाता है ;

(तीन) कि शौचालयों के नलों और फ्लश सिस्टम को पानी पहुंचाने के लिए क्वार्टरों के ऊपर रखी नई टंकियां एक मास से सूखी पड़ी हैं , जिसके फलस्वरूप बड़ी गन्दगी फैल रही है; और

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों की, जिन्हें कपड़े धोने, नहाने अपने फ्लैटों को साफ रखने और सामान्य स्वच्छता रखने में बड़ी कठिनाई हो रही है, शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) (१) नई दिल्ली नगरपालिका को पानी के कम दबाव की पहली सूचना ३ अप्रैल, १९६४ को मिली ।

(२) बतलाया गया है कि ऊपर की मंजिल के फ्लैटों में रहने वालों को प्रातः १० या १०·३० बजे के बाद पानी नहीं मिलता ।

(३) इस सम्बन्ध की कुछ शिकायतें नई दिल्ली नगर पालिका के पास की गई हैं ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा रामकृष्णपुरम् और दक्षिण दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं । आशा है इनमें से दो ट्यूबवेल मई १९६४ के मध्य तक तैयार हो जायेंगे । इन से कुछ राहत मिल जायेगी । वास्तविक राहत सितम्बर, १९६४ तक ही सम्भव हो सकेगी क्योंकि आशा है तब तक वजीराबाद में बन रहे नये ४० एम० जी० डी० प्लांट से प्रति-दिन १ करोड़ गैलन पानी उपलब्ध होने लगेगा । उस समय तक खास कर गरमियों में जलमार्ग कपाटों (स्लूस वाल्व) के विशेष विनियमन द्वारा जल प्रदाय के घण्टों तथा पानी के दबाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी । दिल्ली नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों के लिये जल मार्ग कपाटों (स्लूस वाल्व) के विनियमन का समय निर्धारण कर रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इन अधिकांश सरकारी बस्तियों में नीचे वाला मंजिल और ऊपर वाली मंजिल के क्वार्टरों में पानी के अलग अलग कनेक्शन हैं और केवल नेताजी नगर में ही कनेक्शन अलग अलग नहीं हैं और यह कि स्वास्थ्य मंत्रालय के इंजीनियर ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों से यह सिफारिश की कि अलग अलग कनेक्शन किये जाने चाहियें परन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा आवास तथा पुनर्वास मंत्री के बीच समन्वय की कमी के कारण यह नहीं किया गया है ?

डा० सुशीला नायर : मैं नहीं समझती कि समन्वय की कमी का इससे क्या सम्बन्ध है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय निचली अथवा ऊपर की मंजिल के लिये कनेक्शन मंजूर नहीं करता । मैं नेताजी नगर में कनेक्शनों के भेद से अवगत नहीं हूं । हां, यह सच है कि अनेक दूर की बस्तियों में जहां कि एक ही स्थान से पानी दिया जाता है, नी का दबाव कम है और यही कारण है कि ऊपर के फ्लैटों में पानी की कठिनाई होती है जब तक कि "स्लूस" "वाल्व" आदि द्वारा दबाव को बढ़ाया न जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इस बस्ती में उच्चतर श्रेणी के अधिकारियों के कुछ फ्लैटों अथवा क्वार्टरों में पानी की सप्लाई बराबर और नियमित है और यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति को हम कल्याणकारी राज्य की स्थिति कह सकते हैं, और क्या सरकार एक स्थाई उपाय के रूप में एक जलाशय बनाना चाहती है जैसा कि उसने मोती बाग २ में किया है, और यदि जलाशय नहीं तो क्या सरकार कम से कम नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने के लिये "बूस्टर पम्प" लगायेगी ?

डा० सुशीला नायर : यह कहना गलत है कि कम वेतन पाने वालों और अधिक वेतन पाने वालों के लिये अलग अलग प्रबन्ध है । फिर, हम एक पृथक पृथक् बस्तियों में पृथक् पृथक् समय के लिये पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये कदम उठा रहे हैं । "बूस्टर पम्प" तब ही काम करेंगे जब पानी काफी होगा । मुख्य स्थान (मेन्ज़) पर इस समय पानी काफी नहीं है । पहले हमें

वचन दिया गया था कि १ मई, तक १०० लाख गैलन पानी मिल जायेगा, परन्तु अब यह वायदा सितम्बर तक के लिये बढ़ा दिया गया है और यदि पहला वायदा पूरा हो जाता तो यह कठिनाई नहीं होती। परन्तु दुर्भाग्य से इंजीनियर मूल कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा नहीं कर सके इसलिए यह कठिनाई हमारे सामने आई।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, प्रश्न के उस भाग का भी उत्तर दिया जाये जो बस्ती में मोती बाग २ के जैसा जलाशय बनाने के सम्बन्ध में था।

डा० सुशीला नायर : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ; इसकी जांच की जायेगी।

Shri Hukam Chand (Kachhavaiya) : For the last so many days it is reported in the news papers that water supply shall be restricted to certain colonies at the cost of other colonies; may I know for how long all this will continue, what is the main reason for this and what arrangements have been made for the supply of water to slum areas where there is no water supply?

Dr. Sushila Nayar : Slum areas have nothing to do with the question of water supply. As I have submitted there is only one big pipe which runs through cantonment Board and supplies water to five, six colonies. Delhi Municipal Corporation is working out the timings for the supply of water to different colonies. This is being done with a view to ensure that people get the maximum supply of water.

Shri Yashpal Singh : Has the attention of the Government been drawn to the fact that due to contaminafion of water cases of diarrhoea have been occuring there and Government have issued an order to the effect that the people of that locality should drink boiled water and if so, the number of such cases reported and the measures being taken by Govt. to control the same?

Dr. Sushila Nayar : There have not been any particular case of diarrhoea. Nor have any such instructions been issued in report of any particular locality.

Shri Onkar Lal Berwa : In those three or four colonies water supply is disrupted every year for the last 3, 4 years and M.P. Bungalows also fall a prey to that. May I know if the water shall not be supplied to M.P. Bungalows even this year

Dr. Sushila Nayar : We try and shall always continue to try to give maximum facilities to the M. Ps.

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह बात मंत्रालय की जानकारी में आई है कि विदेशी संवाद दाताओं ने कड़ी शिकायतें की हैं कि उनका ३५ प्रतिशत समय और पैसा पानी और बिजली को ठीक करने में लग जाता है और खास तौर पर कुछ को पानी बिलकुल नहीं मिलता, और क्या मंत्रालय ने उन विदेशी संवाददाताओं की सूची को देखने और शिकायत की जांच करने का कष्ट किया है ?

डा० सुशीला नायर : हम विदेशी संवाददाताओं का कोई विशेष ख्याल नहीं रखते। हमारे लिये दिल्ली के सभी नागरिक एक समान हैं और हम उन सबको एक सामान सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं।

श्री बी० च० शर्मा : माननीय मंत्री ने समस्या का एक दीर्घकालीन समाधान दिया है। क्या उनके पास कोई शीघ्र प्रयोग में लाने वाला समाधान है जिससे कि वहां के निवासियों, अधिकारी और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों को सुबह ८ बजे के बाद भी पानी मिल सके और यदि हां, तो इससे उनको किस समय तक के लिये पानी मिल सकेगा ?

डा० सुशीला नायर : मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि विभिन्न बस्तियों में पानी का अच्छा दवाब रखने के लिये 'स्लूस वाल्सव्' के विनियमन के लिये हमने ये प्रबन्ध किये हैं। इन क्षेत्रों में पानी दबाव सप्लाई बढ़ाने के लिये नल कूप भी लगाये जा रहे हैं। आशा है कि रामकृष्णपुरम् में नलकूप १५ मई तक चालू हो जायेंगे और उससे काफी राहत मिलेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : अब उन्हें सुबह ८ बजे तक पानी मिलता है। इन उपायों के कारण उन्हें पानी किस समय तक मिलने लगेगा ? ९ बजे अथवा १० बजे अथवा किस समय तक ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहती हैं कि पानी साढ़े दस बजे तक मिल रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, यह गलत है ; उन्हें आठ या साढ़े आठ बजे तक पानी मिलता है और वे चुपचाप दुख उठा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी: माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि दो कारण हैं ; एक तो पानी की कमी है और दूसरे यह कि इंजीनियरों ने अनुमान के अनुसार काम नहीं किया । .मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरों ने सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के विरूद्ध कुछ कार्य किया है और यदि हां, तो उन गलतियों को दूर करने और इंजीनियरों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और वह कौनसा विभाग था ।

डा० सुशीला नायर : दिल्ली नगर निगम ने १९६३ में बजीराबाद में ४०० लाख गैलन का संयंत्र लगाने के लिये ठेका दिया था। कार्य, पहले जो समय नियत किया गया था उससे कुछ सप्ताह बाद आरम्भ किया गया था। फिर कुछ ऐसी कठिनाइयां आईं जिनका उन ठेकेदारों को अनुभव हुआ, जिसके कारण कि १०० लाख गैलन की १ मई की प्रत्याशित तारीख को बढ़ाना पड़ा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ को बिजली का संभरण

*१०७७. **श्री जेधे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने कोयना से गोआ तक २२० किलोवाट की लाइन बिछाने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) वनवम्बर, १९६२ में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने गोआ प्रशासन की प्रार्थना पर जैगढ़ (कोयना) से पोंडा (गोआ) तक २२० किलोवाट की लाइन के प्राक्कलन भेजे थे। इसकी एक प्रति केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेज दी गयी थी।

(ख) उच्च लागत के कारण गोआ प्रशासन को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हुआ।

तपेदिक की रोकथाम

***१०७८. श्री श्रीनारायण दास**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने-अपने क्षेत्रों में तपेदिक को न फैलने देने के लिए राज्य सरकारों को किस प्रकार के प्रस्ताव तथा योजनायें भेजी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक सुझाव यह दिया गया है कि इस कार्य के लिए १० लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र एक-एकक बनाया जाना चाहिये ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक क्या काम किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय तपेदिक रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने अपने क्षेत्रों में तपेदिक को फैलने से रोकने के लिये निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित करने को कहा गया है :

१. जिला तपेदिक क्लीनिकों की स्थापना।

२. तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

३. चलते फिरते एक्सरे यूनिटों की स्थापना।

४. तपेदिक पृथक शैयाओं की स्थापना।

५. बी० सी० जी० टीका आन्दोलन।

(ख) सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये एक यूनिट १० से १४ लाख जनसंख्या वाले जिले का होता है।

(ग) राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल तपेदिक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।

स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े

***१०७९. श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में महामारी नियंत्रण तथा स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी सही आंकड़े इकट्ठे करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप आंकड़ों सम्बन्धी स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है ;

(ग) क्या इस काम के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय स्रोत से सरकार ने कोई सहायता मांगी है, तथा यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) स्वास्थ्य मंत्रालय में कौन सा संगठन आंकड़ों से सम्बन्धित कार्य करता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दूसरी योजना में चिकित्सा सांख्यिकी में प्रशिक्षण और अनुसन्धान नामक एक योजना आरम्भ की गयी थी और वह तीसरी योजना में भी जारी है । स्टेटिस्टीकल असिस्टेंटों के लिये नागपुर में मोडल विटल एण्ड हैल्थ स्टेटिस्टिक्स यूनिट में, एस्टैटिस्टीशियनों के लिये अखिल भारत स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता में, और मेडिकल रिकार्ड अफसरों और मेडिकल रिकार्ड प्रविधिज्ञों के लिये ईसाई चिकित्सा कालिज तथा अस्पताल, वेल्लोर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये। स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय में केन्द्रीय स्वास्थ्य जानकारी ब्यूरो की स्थापना की गयी है और इसको सुदृढ़ बनाया गया है । यह ब्यूरो स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े संग्रह करता है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा से लाभ उठाने वालों का अस्वस्थता सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया। कुछ सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सवेक्षण किये गये। तीसरी योजना में अस्वस्थता सम्बन्धी सर्वेक्षण की एक योजना शामिल की गयी है ।

जीवन-मरण और स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों के एकत्र करने और उनके संग्रह का काम ठीक चल रहा है यद्यपि इसमें काफी सुधार की गुजायश है।

मोडल विटल एण्ड हैल्थ स्टेटिस्टिक्स यूनिट, नागपुर में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के चलाने में देश के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गयी हैं। वर्ष १९६२ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये एक संचलन योजना पर भी हस्ताक्षर किये गये थे। केन्द्र में स्वास्थ्य सांख्यिकी के लिये सुझाव देने के लिये एक अल्प-कालीन परामर्शदाता की सेवायें भी प्राप्त की गई हैं।

'स्ट्रेप्टोनेक्स सल्फेट' की शीशी में मक्खियां

*१०८० **श्री गो० महन्ती :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिजर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित 'स्ट्रेप्टोनेक्स सल्फेट' की शीशी में हाल ही में मक्खियां मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां, मेसर्ज फिजर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित 'स्ट्रेप्टोनेक्स सल्फेट' की एक शीशी में, जिस पर बैच संख्या ३२०-४१०३९ छपा था, जब पानी मिलाया गया, तो उसमें एक मक्खी पाई गयी ।

(ख) इस फर्म के विरूद्ध तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :

(१) महाराष्ट्र के औषधि नियंत्रण प्रशासन के निदेशक को इस शिकायत की जांच करने को कहा गया ।

(२) राज्य के औषधि नियंत्रक ने इस फर्म को इसका कारण बताने का एक नोटिस दिया कि बायोलाजिकल और अन्य औषधि निर्माण के उनके लाइसेंस को क्यों न निलम्बित कर दिया जाये । उसने उनको सभी प्रकार की एन्टोबायोटिक्स का निर्माण करने से भी रोक दिया ।

(३) एन्टीबायोटिक्स को शीशी में भरने का काम २६ दिसम्बर, १९६३ से ६ जनवरी, १९६४ तक रुका रहा । इस फर्म ने खराब शीशियों भी वापस ले लीं ।

(४) राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन ने जो त्रुटियां बतलायीं थीं, इस फर्म ने उनको दूर कर दिया और निदेशक ने स्वयं फर्म का निरीक्षण किया और संतुष्ट होने पर उन्होंने फर्म को शीशियां भरने की अनुमति दे दी।

(५) और शिकायतें मिलने पर इस फर्म को स्ट्रेप्टोनेक्स के निर्माण के लिये दी गयी अनुमति वापस ले ली गयी और उससे भविष्य में इसका निर्माण न करने को कहा गया। इस फर्म को यह भी चेतावनी दी गयी कि यदि उन के द्वारा तैयार किसी इंजेक्शन की औषधि में कोई मिश्रण होने की शिकायत आयी तो इस फर्म को अनुसूची ग में शामिल औषधियों का निर्माण करने से रोक दिया जायेगा ।

तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना

*१०८१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ३१ मार्च, १९६४ को उन के मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'तवा' बहुप्रयोजनीय परियोजना मध्य प्रदेश से सम्बन्धित कार्य तेजी के साथ तथा उत्साह से पुनः चालू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार ;

(ग) क्या तीसरी योजना के चौथे वर्ष में परियोजना के लिए पर्याप्त आवंटन कराने के कोई प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). पुनर्वास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस वर्ष तक परियोजना के लिये १ करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे है। इससे उत्साह पैदा होगा और आगामी वर्षों में अधिक तेजी से काम करना संभव हो सकेगा ।

एकाधिकार आयोग

*१०८२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित एकाधिकार आयोग के सदस्यों के संबंध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे और उनके कृत्य क्या होंगे?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) सरकार इस मामले पर सक्रिय विचार कर रही है। निर्णय होते ही इस बारे में सभा को सूचित कर दिया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से अनुदान

*१०८३. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री केप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की प्रशासन परिषद् ने केवल एशिया तथा अफ्रीका के लिए अभिप्रेत कई हजार लाख डालर की नयी परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है ;

(ख) इस प्रकार कुल कितनी राशि स्वीकार की गई है और उसमें से भारत को कितनी आवंटित की गई हैं; और

(ग) भारत में अनुदानों को किस प्रकार उपयोग में लाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की प्रशासन परिषद ने अपनी जनवरी, १९६४ की बैठक में ४८ परियोजनाओं को स्वीकृति दी जिन पर विशेष निधि से कुल ५३७ लाख डालर दिया जाना है। इनमें से ३४ परियोजनाऐं अफ्रीका और एशिया में है, जिन पर विशेष निधि से लगभग ४०० लाख डालर दिया जायेगा। निम्नलिखित तीन भारतीय परियोजनाओं के लिये ४० लाख डालर से अधिक का आवंटन किया गया है :

	डालर
१. छः रीजनल इंजीनियरिंग कालिज . . .	२,०९३,८००
२. भारत पूर्व-विनियोजन सर्वेक्षण और मानवीकरण का सर्वेक्षण	१,४८१,४००
३. चार लोगिग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना . .	४९१,३००
कुल	४,०६६,५००

समान बिक्री कर

*१०८४. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र के सभी राज्यों में एक समान बिक्री कर रखने का विचार है ;

(ख) क्या बिक्री कर हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का भी विचार है ;

(ग) क्या उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में इस प्रकार की सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) जी हां। यह प्रस्ताव उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के समक्ष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) परिषद् ने अक्तूबर, १९६३ में यह सिफारिश की थी कि लोहा तथा इस्पात, सीमेन्ट, कोयला, वनस्पति घी, कागज पेट्रोलियम उत्पादों और धागे पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाया जाये। ७ नवम्बर, १९६३ को हुए राज्य के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में हुयी बातचीत के फलस्वरूप बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया। समान बिक्री कर का प्रस्ताव अभी भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् के विचाराधीन है।

लिसाड़ा नाला

*१०८५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गहमरी :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री दिनांक १९ मार्च, १९६४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६४ को घग्घर और लिसाड़ा का निरीक्षण करने के पश्चात् वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी मानसून से राजस्थान को कोई क्षति न पहुंचे सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) घग्घर के बाढ़ के पानी को राजस्थान में उपयोग करने के सम्बन्ध में यदि कोई अध्ययन किया गया है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) १-३-१९६४ को घग्घर और लिसाडा का निरीक्षण करने और २७-३-१९६४ को राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद यह तै हुआ कि लिसाड़ा नाले में ऊपर के हिस्से का पानी चान्द भान नाले के जरिये सतलुज नदी में डाला जायेगा। यह भी तै हुआ कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री और मैं लिसाडा नाले के निचले हिस्से के पानी को देने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व घग्घर नदी और लिसाड़ा नाले का निरीक्षण करें।

(ख) लिसाडा नाला कई स्थानों पर अपूर्ण है और इस नाले से वर्ष १९६४ के वर्षा-काल में घग्घर नदी को कोई अतिरिक्त पानी नहीं दिया जायेगा।

(ग) एक प्राथमिक अध्ययन से पता चला है कि राजस्थान फीडर के नीचे सइफॉन से सूरतगढ़ के निकट रेतीले स्थान तक परिवर्तन नहर पूरी होने से पूर्व घग्घर नदी की बाढ़ का ३००० से ५००० क्युसेक तक पानी राजस्थान नहर को दिया जा सकेगा। स्थायी उपाय के तौर पर घग्घर नदी की बाढ़ का पानी राजस्थान नहर से सिंचाई के लिये इस्तेमाल करने के लिये ओटु बांध से राजस्थान नहर तक एक नहर बनाने की योजना है।

दिल्ली में चिकित्सा सुविधायें

*१०८७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका पता लगाया है कि दिल्ली में उपलब्ध चिकित्सा सुविधायें यहां की कुल आवश्यकताओं से कितनी कम हैं; और

(ख) मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा कम से कम राजधानी में अनुमानतः कब तक ये मांगें पूरी हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) दिल्ली और इसकी जनसंख्या के विकास के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी बढ़ती जा रही है। देश भर के स्तर को देखते हुए इस समय दिल्ली में ये सुविधाऐं अधिक हैं। दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं का योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार विकास किया जा रहा है।

पोचमपाद परियोजना

२२११. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): प्राथमिक कार्य जैसे इमारतों का निर्माण, सड़कें, जल-सम्भरण, विद्युत् संभरण और विस्तृत जांच-पड़ताल हो रही है। फरवरी, १९६४ के अन्त तक लगभग १५७ लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा स्वच्छता समिति

२२१२. **श्री तन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय-जल-सम्भरण तथा स्वच्छता समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक कितनी प्रगति की गयी है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भी इन सिफारिशों को मान लिया है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय समितियां बना दी गयी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा स्वच्छता समिति की अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों के बारे में हैं। कुछ सिफारिशें तो राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं और कुछ अभी विचाराधीन हैं। केन्द्र में अप्रैल, १९६३ में ग्रामीण जल-सम्भरण योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये उपयुक्त तरीके निकालने और व्यवस्था करने के लिये एक पेय जल बोर्ड स्थापित किया गया था। बोर्ड द्वारा पेश किया गया अन्तिम प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों में हर राज्य में विशेषत: कठिनाई वाले और कमी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जल-सभरण समस्या का शीघ्र मूल्यांकन करने के लिये विशेष जांच डिवीजन स्थापित किये गये हैं जिन पर १०० प्रतिशत केन्द्रीय राज सहायता की जायेगी ।

अभी हाल में चालू ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रमों के सभी पहलुओं पर विचार करने और ग्रामीण जल संभरण कार्यक्रमों की क्रियात्मक कार्यान्विति के लिये अपनाये जाने वाली नीति और प्रक्रिया की सिफारिश करने और तृतीय योजना काल में आवंटनों को पूरा पूरा खर्च करने के लिये एक ग्रामीण जल-संभरण समन्वय समिति बनायी गयी है जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं ।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संघ और राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के बीच पदाधिकारियों की अदला बदली की सिफारिश से सहमत हो गयी है बशर्ते कि इस को एक पृथक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किये जाने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सके। अन्य सिफारिशों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

सम्पदा शुल्क

२२१३. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों की क्या संख्या है जिनमें वर्ष १९६० से सम्पदा शुल्क सम्पत्ति के मल्य के ५० प्रतिशत की दर पर वसूल किया गया ; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी रकम वसूल की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि सम्पदा शुल्क की अधिकतम दर ४० प्रतिशत है।

(ख) १५,९७,६३,००० रुपये, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	रुपये
१९६०–६१	२,९०,७४,०००
१९६१–६२	४,२५,८९,०००
१९६२–७३	३,९८,००,०००
१९६३–६४ (अस्थायी)	४,८३,००,०००

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे

२२१४. **श्री व० बा० गांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम, १९५६ के लागू होने के समय से अब तक प्रति वर्ष कितने मुकदमे दायर किये गये ;

(ख) इन मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त कितनी कम्पनियों के पास १ लाख, ५ लाख, १० लाख और १० लाख से अधिक की अधिकृत पूंजी थी ; और

(ग) उनमें से कितनी कम्पनियों को दोषमुक्त किया गया तथा उपरोक्त कम्पनियों की अधिकृत पूंजी का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)

	दायर किये गये मुकदमों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों की संख्या	दोषमुक्त की गई कंपनियों की संख्या
१९५६–५७	५७२	१६५	५२
१९५७–५८	१३०५	२३५	१५६
१९५८–५९	२४९८	६३१	१६६
१९५९–६०	५२५२	१०४३	१४८
१९६०–६१	६२७२	१२२०	२१७
१९६१–६२	३९९०	९०२	२५३
१९६२–६३	३६८७	९८३	१२२

कंपनियों की अधिकृत पूंजी की पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये उत्तर प्रदेश को मंजूर की गई राशि

२२१५ **श्री धवन :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला हराइच में पयागपुर क्षेत्र में टेस्ट वर्कस (सहायतार्थ निर्माण) कार्यों पर काम कर रहे राजापुर और काशीजोट बस्तियों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित

व्यक्तियों की मजूरी में वित्तीय सहायता देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी, हां। २०,००० रु० की राशि मंजूर की गई है।

(ख) वित्तीय सहायता १३६ विस्थापित परिवारों के लिये ८ मास से अनधिक अवधि के लिये २० रु० प्रति परिवार प्रति मास की दर से मंजूर की गई है।

महालेखापाल उत्तर प्रदेश

२२१६. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महालेखापाल, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी श्रेणियों के कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ख) जनवरी, १९६४ के अन्त तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयुर्वेद का विकास

२२१७. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में तीसरी योजनावधि में आयुर्वेद के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश को तीसरी योजना में चिकित्सा के देसी तरीकों, जिनमें आयुर्वेद भी शामिल है, के विकास के लिये ९९.६५ लाख रु० की राशि आवंटित की गई थी। इस संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता अर्थोपाय पेशगियों के रूप में दी गई है और यह ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकार ने आयुर्वेद के विकास के लिये कितनी राशि ली। तथापि, राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने ११,२८,९०० रु० की राशि आवंटित की थी और उत्तर प्रदेश में आयर्वेद के विकास पर अब तक ८,८२,६३१ रु० व्यय किया जा चुका है।

ऊपर दी गई सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार योजनाओं की क्रियान्विति के लिये निम्नलिखित संस्थाओं को प्रत्यक्ष अनुदान देती रही है :—

संस्थाएं	योजना	अब तक दी गई राशि
(१) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	(१) अनुसंधान को जारी रखना	५०,७७८
	(२) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान केन्द्र	३००,०००
(२) गुरुकुल कांगडी हरिद्वार	जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण	१,८४,५५०
	कुल	५,३५,३२८

Social Security

2218. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 74 on the 13th February, 1964 and state:

(a) whether consideration of other problems relating to provision of Social Security have been completed;

(b) If so, the details thereof; and

(c) when and in which form these would be implemented?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No Sir. Certain other measures are under consideration.

(b) & (c). Do not arise.

दामोदर घाटी निगम विद्युत योजनाएं

२२१९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी योजना के लिये दामोदर घाटी निगम विद्युत योजनाओं के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली में कई मंजिलों वाली इमारतें

२२२०. **श्री महेश्वर नायक**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली के चारों ओर कई मंजिलों वाली इमारतों के निर्माण के लिये विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को मजूरी दी गई है और इन भवनों के निर्माण से बहुत से रिहायशी वाणिज्यिक क्षेत्रों में बदल जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मंजूरी देने से पहले वाणिज्यिक तथा रिहायशी आवश्यकताओं के परस्पर अपेक्षाकृत लाभों को ध्यान में रखा गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । इस सम्बंध में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई मंजूरियां दिल्ली के 'मास्टर प्लान' के उपबंधों के अनकूल हैं, जिसे कि अन्तर्ग्रस्त समस्याओं पर पूर्ण विचार करके तैयार किया गया है ।

State Planning Boards

2221. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. .R. Chakraverti :

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 224 on the 20th February, 1964, and state:

(a) the names of other States in which State Planning Boards have been constituted till the end of March, 1964;

(b) whether any assessment has been made of the work in respect of boards already constituted; and

(c) the reasons for not constituting boards in the rest of the States so far?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Planning Boards have been set up in the States of Orissa, Punjab, Rajasthan, Bihar and Jammu & Kashmir.

(b) At its Twentieth Session held in November 1963, the National Development Council decided that in the light of the Planning Commission's Mid-term Appraisal while there might be a degree of flexibility in the arrangements, State Governments should take specific measures to improve their machinery for planning, raise the level of administrative efficiency and strengthen the implementation of development programmes in differents sectors.

(c) The principal reasons given by State Governments for not constituting State Planning Boards are the following:

1. It would be difficult to secure a sufficient number of full-time personnel of adequate calibre and position in public life to work as Members of a State Planning Board.
2. Setting up of State Planning Board would involve an additional financial burden on the States' resources.
3. Relations between a State Planning Board and the Ministry which is responsible to the Legislature required to be carefully considered.

2222. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a mobile bar functioning for the last three months in Delhi has been detected from which thousands of bottles of liquor have been recovered;

(b) if so, the number of bottles recovered; and

(c) the preventive measures adopted by Government?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) One taxi No. DLT 1288 alleged to be engaged in sale of illicit liquor was detected on 14-2-1964 near the All India Institute of Medical Science. All the occupants of the taxi were taken into custody, as they were found in possession of liquor in a glass and some empty bottles were also recovered from the taxi.

(b) 9 bottles.

(c) Frequent raids are organised by the Excise and the Police staff with a view to check the sale and smuggling of illicit liquor.

Birth Control Tablets

2223. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether "Planitab" tablets have been manufactured by Government for birth control; and

(b) if so, the extent to which they have proved effective?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). 'Planitab' is a contraceptive foam tablet manufactured by Hind Chemicals Ltd., Kanpur. It is included in the list of contraceptives approved by the Government of India. Effectiveness of contraceptive faom tablets generally is about 60 to 80 per cent. Some cases using the foam tablets report warmth or burning sensation. The Government of India is developing a foam tablet in their own Medical Stores Depot.

पट्टा नामा

२२२४. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पट्टा नामा प्रपत्र का खंड ११ उनके मंत्रालय के लिये आमदनी का स्रोत है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भूमि विकास अधिकारी दण्ड वाले खण्ड को बहुत सख्ती से लागू कर रहे हैं जब कि सरकार का ऐसा अभिप्राय नहीं है, और पट्टे नामों की सूचना देने में एक दिन की देरी पर भी पट्टे दारों को भारी दण्ड दिये जाते ह; और

(ग) शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) पट्टे नामे के खण्ड ९ में उस स्थिति में १०० रु० की दण्ड राशि का उपबंध किया गया है जब कि पट्टेदार पट्टा की हुई जमीन के कब्जे में परिवर्तन संबंधी सूचना पंजीयन की तारीख से एक मास के भीतर भूमि के अधिस्वामी को सूचित न करे ; इस उपबंध का अभिप्राय राजस्व का साधन उत्पन्न करना नहीं है अपितु यह एक निवारक व्यवस्था है और यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि कोई पट्टेदार यथासमय सूचना देने में भूल न करे ।

(ख) और (ग) हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं पड़ती है। यदि यह विषय सरकार के समक्ष लाया गया तो उसकी जांच की जायेगी ।

सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञ

२२२५. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जय इंजीनियरिंग वर्क्स

२२२६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स के कार्य स्थान की तलाशी ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किन कारणों पर ;

(ग) क्या अग्रेतर जांच हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किस अवस्था पर पहुंची है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). जनवरी १९६४ के पहले सप्ताह में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कलकता मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स के कारखाने के स्थान, फर्म के सोल एजेंटों के मुख्य कार्यालय और सार्थ का कार्य करने वाले एक व्यक्ति के निवास स्थान से कुछ दस्तावेज़ प्राप्त किये थे। कोई औपचारिक तलाशी लेना आवश्यक नहीं समझा गया। दिल्ली में ४ जनवरी, १९६४ को दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हीं फर्मों के व्यापारिक स्थानों की तलाशी ली गई थी और कुछ दस्तावेज ले लिये गये थे। फर्मों पर निर्यात आयात का कम बीजक दिखाने और विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का शक था।

(ग) और (घ). कलकत्ता सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक उन्होंने एक "कारण बताओ" नोटिस जारी किया है।

सिंचाई परियोजनाएं

२२२७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कितनी बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं का काम आरम्भ किया गया है ;

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी भूमि में सिंचाई होने की संभावना है ; और

(घ) उसी अवधि में वास्तव में कितनी भूमि की सिंचाई की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तीसरी योजना अवधि में, ५१ बड़ी और २३४ मध्यम परियोजनाओं के अतिरिक्त, जिनका कि काम पूर्व योजनाओं से जारी था, ८ नई परियोजनाओं और ३९ नई मध्यम परियोजनाओं का काम अभी तक आरम्भ किया गया है।

(ख) मार्च, १९६४ तक नई परियोजनाओं पर लगभग ४० करोड़ रु० का व्यय किया गया है और ऊपर बताई गई सभी परियोजनाओं पर कुल लगभग ८६५ करोड़ रु० की राशि व्यय की गई है।

(ग) मार्च १९६४ तक नई प्रारम्भ की गई परियोजनाओं और पहले से जारी योजनाओं से लगभग १०८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने की क्षमता पैदा हो जानी चाहिये। इन में से उपरोक्त भाग (क) में बताई गई नई योजनओं की सिंचाई क्षमता केवल २१,००० एकड़ होगी।

(घ) आशा है कि मार्च, १९६४ तक उपरोक्त भाग (क) में दी गई सभी योजनाओं से ८२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो जायेगी। हां, नई योजनाओं से मार्च, १९६४ तक सिंचाई की कोई आशा नहीं थी।

उड़ीसा को सहायता में कमी

२२२८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में दी गई सहायता में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जितनी रकम देने का वायदा किया गया था उतनी रकम दे कर कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं। वर्ष १९६१-६२ के लिये सहायता अन्तिम रूप से तय हो गई है और इसमें कोई कमी नहीं हुई है। १९६२-६३ के लिये अन्तिम समायोजन राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर अभी भी पूरा किया जाना है परन्तु अस्थायी भुगतान पहले से ही किये जा चुके हैं। १९६३-६४ के लिये भी विकास के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत अभी तक केन्द्रीय सहायता की अन्तिम मंजूरी नहीं की गई है परन्तु सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अस्थायी भुगतान कर दिये गये हैं।

(ख) देय राशियां निश्चित की जा रही हैं और अन्तिम भुगतान राज्य सरकार द्वारा बताये गये वास्तविक व्यय के आधार पर किये जायेंगे। इस बीच में अर्थोपाय पेशगियां और अस्थायी भुगतान मंजूर किये जा रहे हैं जो अन्तिम रूप से बाद में तय किये जायेंगे।

उड़ीसा में अनुसन्धान योजनाएं

२२२९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४-६५ में उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड द्वारा कोई अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की गई हैं अथवा मंजूर करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). हीराकुड अनुसन्धान केन्द्र अभी उसे पहले से दी गई दो योजनाओं का काम कर रहा है । १९६४–६५ में कोई नई योजनाओं के मंजूर होने का प्रस्ताव नही है।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों का हटाना

२२३०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा में गंदी बस्तियों को हटाने के लिये वास्तव में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) १९६४–६५ में इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितनी राशि देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) १९६३–६४ में ५ लाख रु० (इसमें राज्य का भाग भी शामिल है) के व्यय के मुकाबिले में ३.७५ लाख रु० (१.८८ लाख रु० ऋण के रूप में और १.८७ लाख रु० अनुदान के रूप में) केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये हैं ।

(ख) ३.७५ लाख रु० ।

उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया का उन्मूलन

२२३१. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में अब तक मलेरिया तथा फाइलेरिया के उन्मूलन के लिये राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उस राशि को पूर्णतः उपयोग में लाया गया है ; और

(ग) इस के उन्मूलन के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) :

(१) मलेरिया उन्मूलन :

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने डी० डी० टी०, मलेरिया नाशक औषधियां दूरवीक्षण यंत्र और माइक्रोस्लाइडों जैसे माल और उपकरण को, निर्धारित पैमाने के अनुसार, राज्य सरकारों को निःशुल्क

देना और आयातित सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूरा करने के लिये सहायक अनुदान देना भी आरंभ किया है । आयातित माल पर, सीमा शुल्क को मिलाकर सामग्री एवं उपवास के रूप में १०७.४६ लाख रुपये तक सहायता अब तक १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ वर्षों में उड़ीसा राज्य को दी गई है ।

इस के अतिरिक्त, भारत सरकार ने कार्यकारी कर्मचारियों पर होने वाले व्यय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय में से, जो राज्य सरकार को उस व्यय के अतिरिक्त देना पड़ेगा, जो वह राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पर खर्च कर रही है, ५० प्रतिशत तक देना स्वीकार कर लिया है । निर्धारित लेखापालन प्रक्रिया के अनुसार, इस कारण नकद अर्थ-सहायता राज्य सरकार को अलग अलग योजनाओं के लिये नहीं दी जा रही, अपितु यह योजनाओं के एक समूह के लिये उन को दी जाती हैं । अतः अब तक केन्द्रीय सरकार से अर्योपा के रूप में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा ली गई नकद अर्थ सहायता की वास्तविक राशि के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं है ।

(२) फाइलेरिया उन्मूलन

फाइलेरिया उन्मूलन की कोई योजना नहीं चल रही तथापि फाइलेरिया नियंत्रण के लिये, मच्छर के अंडों को मारने वाले तेल को मुफ्त देने के रूप में तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा सरकार को ५.५७ लाख रुपये तक सहायता दी गई है ।

फाइलेरिया—राज्य को १९६२–६३ तक दिये गये मच्छर अंडे नाशक तेल का पूर्णतः उपयोग किया गया है और १९६३–६४ में दिये गये तेल का अब उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम १९५८ से चल रहा है । जहां तक उड़ीसा का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि मलेरिया की अनुपातिक दर, अर्थात् सभी बीमारियों में मलेरिया रोग की प्रतिशतता, जो १९५३–५४ में १४.४ प्रतिशत बताई गई थी, दिसम्बर १९६३ के अन्त तक कम होकर १.८ प्रतिशत रह गई है ।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, खुरदा और चतरपुर में पांच फाईलेरिया नियंत्रण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

उड़ीसा में आयुर्वेद का विकास

२२३२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा राज्य में आयुर्वेद के विकास के लिये वास्तव में कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) १९६३–६४ में इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) आयुर्वेद समेत देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए तीसरी योजना में जो व्यवस्था थी उस में से ४.२१ लाख रुपये खर्च हुए हैं। १९६३–६४ के लिए वार्षिक योजना में ३९,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु राज्य को ४५,००० रुपये के वास्तविक व्यय की आशा है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत देशी चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन संस्थाओं को वर्गीकृत करने के लिए १९६३–६४ में केन्द्रीय सहायता ३३०० रुपये की दी गई थी।

(ख) कार्यकारी वर्गों ने इस कार्य के लिए १९६४–६५ के राज्य बजट में शामिल करने के लिए ५४००० रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी व्यवस्था की गई है, यह मालूम नहीं है।

उड़ीसा में होम्योपैथिक अस्पताल

२२३३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने होम्योपैथिक अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार से सहायता मिल रही है ;

(ख) १९६३–६४ में उन को कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) १९६४–६५ में उक्त कार्य के लिए राज्य को कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) केन्द्रीय सरकार उड़ीसा या और किसी राज्य को होम्योपैथिक अस्पतालों के लिए कोई सहायता नहीं देती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार लाभकर

२२३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार लाभ कर के कितने निर्धारितियों को उच्चतम न्यायालय के दिनांक ६ मई १९६० के निर्णय का लाभ प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस कारण सरकार को कितने धन की हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Cure for Cancer

2235. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Hingeses of America has claimed that he has found a cure for cancer in the form of pills made from indigenous medicines; and ;

(b) if so, whether Government propose to adopt that system in India?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Government of India have no information on the subject.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन

२२३६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश में वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) १९६४–६५ में राज्य में बिजली की मात्रा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में बिजली उत्पादन की क्षमता ७६६ मैगावाट है।

(ख) १९६४–६५ में, ३४ मैगावाट अतिरिक्त बिजली बनाने की क्षमता चालू किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) आगरा बिजली घर .	१० मैगावाट
माताटीला जल (पहला यूनिट) .	१० मैगावाट
जल विद्युत योजनाएं (पर्वतीय जिलों में)	१.६ मैगावाट
मुरादनगर में गैस टर्बाइन सेट . .	१२.५ मैगावाट

Profits of Public Undertakings

2237. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. R. Chakaraverti :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided to fix a ceiling on the profits of public undertakings;

(b) if so, the main features of the decision; and

(c) the date from which it would be enforced?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

आगरा नहर के साथ तापीय संयंत्र

२२३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बिजली संबंधी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आगरा नहर के साथ २५० मैगावाट क्षमता का एक नवीन तापीय संयंत्र बनाने के लिए स्थान चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). मथुरा रोड पर बदरपुर गांव के समीप, दिल्ली के लिए भावी तापीय संयंत्र लगाने के लिए, अन्तिम रूप में चुना गया है। अग्रेतर सर्वेक्षण तथा खोज कार्य जारी है।

डालमिया जैन फर्में

२२३९. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया जैन फर्मों की अग्रेतर जांच करने के लिए जिस व्यक्ति को निरीक्षक नियुक्त किया गया है, वह मुक्तसर बिजली संभरण समवाय सीमित में सरकारी परिसमापक था ;

(ख) यदि हां, तो क्या शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ने साइमन्ज इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से मुक्तसर बिजली सम्भरण समवाय सीमित के विरुद्ध एक दावा किया था और क्या उक्त निरीक्षक को शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक से ३०,००० रुपये प्राप्त हुए थे ; और

(ग) क्या शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ने केवल १८,७१८ रुपये की राशि की रसीद साइमन्ज इंजीनियरिंग कम्पनी के लेखा में दिखाई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) मैसर्स एस० पा० चोपड़ा एण्ड कम्पनी, प्राधिकृत लेखापालों की राशि जिसका एक भागीदार श्री एस० पी० चोपड़ा, साहू वर्ग (न कि डालमिया जैन वर्ग) की कुछ कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है, मुक्तसर बिजली सम्भरण समवाय सीमित के परिसमापक थे, जिसने स्वेच्छापूर्वक ३०-९-१९४२ को परिसमापन किया और अन्त में सितम्बर १९६१ में समाप्त हो गई।

(ख) सरकार को मुक्तसर बिजली सम्भरण समवाय सीमित के विरुद्ध साइमन्ज इंजीनियरिंग कम्पनी की ओर से शत्रु सम्पत्ति के अधिरक्षक द्वारा किये गये दावे के स्वरूप एवं राशि का पता नहीं है। परिसमापक, अर्थात मैसर्स एस० जी० चोपड़ा तथा समवाय ारा कम्पनियों के रजिस्ट्रार को दिये गये विवरण के अनुसार, परिसमापकों ने दावे का पूर्ण भुगतान करते हुए ३०,००० रुपये की राशि दी।

(ग) सरकार को मालूम नहीं कि क्या शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ने साइमन्ज इंजीनियरिंग कम्पनी के लिये लेखाओं में १८,७१८ रुपये की राशि की रसीद दिखाई है, तथापि श्री एस० जी० चोपड़ा ने स्पष्टीकरण दिया है कि दावे का भुगतान, जो वास्तव में ३५,००० या ४०,००० रुपये का था, एक बिचोलिया के द्वारा किया गया था, जो मर चका है, जिस का मैसर्स साइमन्ज इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ संबंध था और उस के बिचोलिये ने उतनी राशि काट ली थी जो अभिरक्षक को अन्तिम भुगतान करने से पूर्व भुगतान करने वाले पक्षों द्वारा खर्च की गई थी।

डालमिया जैन फर्म

२२४०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ डालमिया जैन फर्मों के काम की जांच करने के लिए नियुक्त किये गए एक इन्सपेक्टर ने दिसम्बर, १९४७ में सरकारी परिसमापक के रूप में तत्कालीन इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, लाहौर से न्यू स्टेट आफ इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के नाम पर २०,००० रुपये निकाले ; और

(ख) क्या उन्होंने इस रकम के बारे में जालन्धर के संयुक्त स्कन्ध समवायों के रजिस्ट्रार को भेजी गयी विवरण (रिटर्न) में कोई उल्लेख नहीं किया।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). इन्सपेक्टर, श्री एस० पी० चौपड़ा ने, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के आरोपों से इन्कार किया है। उन्होंने बतलाया है कि न्यू स्टेट आफ इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लाहौर में एक कम्पनी थी और जहां तक उन्हें याद है इस कम्पनी, जिसका परिसमापन हो गया था, के बारे में कोई रिकार्ड विभाजन के बाद भारत नहीं लाये जा सकते थे। श्री चौपड़ा ने यह भी बताया है कि उन्होंने इस कम्पनी के बारे में जालन्धर के संयुक्त स्कन्ध समवायों के रजिस्ट्रार को कोई विवरण नहीं भेजा। जालन्धर में रजिस्ट्रार को कोई विवरण भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस कम्पनी का नाम इस रजिस्ट्रार या भारत में किसी अन्य रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में समवायों की सूची में नहीं है।

Tomb of Late Maulana Azad

2241. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that excavation has begun near the Jama Masjid for renovating the tomb of late Maulana Azad;

(b) if so, the money previously spent over that and the various sources from where it was procured; and

(c) the estimated amount to be spent on its re-construction, the heads under which it will be drawn, its details and the time when the work would be completed ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No, the excavation does not relate to the tomb.

(b) *and* (c). Do not arise.

केरल में बी० मलयी रोग

२२४२. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में वर्ष १९६४–६५ में बी० मलयी रोग पर नियंत्रण के लिए एक प्रमुख परियोजना चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)) : जी. नहीं।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ;

आसाम में बिजली की आवश्यकता

२२४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १२ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और अन्य राज्य सरकारों ने (पृथक पृथक) अपनी बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए कितनी विशेष सहायता मांगी है, और

(ख) इन मांगों को किस हद तक पूरा किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

चोरी से लायी गई अदावी मुद्रा[1]

२२४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय डाक घर के पास २ वर्षों से अधिक समय से पड़ी कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी चोरी से लायी गयी मुद्रा की क्या क्या रकम है जिसका कोई दावा नहीं किया गया है ; और

(ख) डाकघर में ऐसी अदावी रकम कितने समय तक रखी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में दुकानें

२२४५. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री बड़े :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कितनी दुकानें बनायी गयी हैं ;

(ख) अब तक कितनी दुकानें आवंटित की गयी हैं ; और

(ग) किन श्रेणियों के व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गयी हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अब तक ८१ दुकानें और १० स्टाल बनाये गये हैं।

(ख) ५३ दुकानें और १० स्टाल आवंटित किये गये हैं।

(ग) दुकानें। स्टाल विभिन्न व्यापारियों के संतुलित प्रतिनिधान और आवंटिती की क्षमता को ध्यान में रख कर आवंटित किये गये हैं।

[1] Unclaimed Smuggled Currency.

Smuggled Gold

2246. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the quantity of smuggled gold seized upto March, 1964 since the enforcement of Gold Control Order; and

(b) the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) 14,13,874 grams.

(b) 314.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

२२४७. **श्री तन सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में से कुल कितनी धनराशि निकाली है ;

(ख) पूंजी और ब्याज के रूप में कितनी रकम का पुनर्भुगतान किया गया है ;

(ग) बाकी रकम के पुनर्भुगतान के लिए क्या तिथि रखी गई है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के साथ हुए सह ऋण करार पर वर्ष १९६३–६४ में कितनी रकम निकाली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). निकाली गई, वापस की गई और ब्याज की रकम के बारे में सूची निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

समय	निकाली गयी रकम	वापस की गई रकम	दिया गया शुल्क
१९४८–४९	४७.६२	१९५४–५६: पूरा	३.२५
१९५७ .	९५.२४	१९५९–६१ : पूरा	८.०१
१९६१ .	११९.०५	+फरवरी, १९६४ में ११.९१ करोड़ रुपये को केवल एक किश्त इस समय	५.७७
१९६२ . .	११.९१*	जून १९६३ में पूरा	०.३३

*४७.६२ करोड़ के सह ऋण में से, बाकी नहीं निकाला गया ।

+बकाया का ३१ जुलाई, १९६६ तक भुगतान होगा ।

शरणार्थियों के लिए रियायतें

२२४८. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के स्थान के लिए मूल्य दरों और पट्टे की रकम के बारे में निर्धारित कुछ रियायतें एक विशेष तिथि तक ही मिलेंगी ;

(ख) यदि हां, तो दी गई रियायतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या इन रियायतों से लाभ उठाने के लिए जनता को समाचार पत्रों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से सूचित किया गया; और

(ग) क्या इस तिथि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिससे विस्थापित व्यक्ति इन रियायतों से लाभ उठा सकें ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). वर्ष १९५४ में यह निर्णय किया गया था कि विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास) नियमों की अनुसूची ११ के अनुसार पुनरीक्षित पट्टा शर्तों पर दी गई भूमि के लिये प्रीमियम में १० प्रतिशत की छूट दी जाये। प्रीमियम मुख्यतः मूल्यांकन के समय भूमि के बाजार भाव के आधार पर तै किया गया था। मई, १९६० में यह निर्णय किया गया कि इस रियायत को वापस ले लिया जाये क्योंकि दिल्ली में भूमि के बाजार भावों में काफी वृद्धि हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

Promotions in Income Tax Department

2249. { **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recommendations of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee (Para 8·89 page 220 of the Report) regarding promotions in Income Tax Department have not been fully implemented so far; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The recommendation in question of the Direct Taxes Administration Enquiry Committee has been implemented to the extent it was accepted.

(b) The Direct Taxes Administration Enquiry Committee recommended that seniority for purposes of promotion to the next higher grade should be regulated with reference to the date or the year of passing the prescribed examination. This was accepted partially and in respect of promotions of Upper Division Clerks to posts of Inspectors, Government evolved a formula whereby the seniority as well as the date of passing the examination could be taken into account on a parity basis. The question of extending this principle to the promotion of Inspectors to Income-tax Officers was also examined but it was decided not to extend it to their case.

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों में 'रोहा रोग'

२२५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय सेवा स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किये गये एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार विश्वविद्यालय के ३४ प्रतिशत विद्यार्थी 'रोहा रोग' से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग के नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय सेवा स्वास्थ्य केन्द्र के नेत्र-चिकित्सालय में विद्यार्थियों का रोहे का पूरा इलाज किया जाता है । इस रोग को फैलने से रोकने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पताल

२२५१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पतालों को आज तक दी गई केन्द्रीय सहायता का स्वरूप और विस्तार क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : उत्तर प्रदेश में अथवा अन्यत्र होम्योपैथिक अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं देती ।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्य

२२५२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान २ अप्रैल, १९६४ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में ढील" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और बाढ़ नियंत्रण परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्यों की प्रगति तीव्र करनी है । प्रगति पर निकट से निगरानी रखने के लिये साप्ताहिक प्रगति कार्ड और पाक्षिक प्रगति रिपोर्टों की पद्धति लागू की गई है । विभिन्न कार्यों के बारे में वास्तविक स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७३४/६४]**

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

२२५३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में, वर्ष-वार, पिछले क्षेत्रों के विकास के लिये बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): पंजाब में वर्ष १९५९ में पहाड़ा क्षेत्रों के, जिनको पिछड़े क्षेत्र कहा गया है, विकास के लिये किया गया वार्षिक आवंटन निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

	तीसरी योजना				
१९६०–६१	(१९६१–६२)	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
२.८७	२२.६३	३.१५	४.३१	३.२५	५.३०

अन्य तीन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कोई पृथक् आवंटन नहीं किया गया।

दिल्ली में विवाहिता नर्सों के लिये क्वार्टर

२२५४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में नियोजित विवाहिता नर्सों को न तो परिवार क्वार्टर दिये जाते हैं और न मकान किराया भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों में जिन विवाहिता नर्सों को आवास की कमी के कारण जनरल पूल से परिवार क्वार्टर नहीं दिये जा सकते, उनको मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इर्विन अस्पताल में इन नर्सों को मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अस्पतालों के समीप ही विवाहिता नर्सों के लिये क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उड़ीसा का विकास

२२५५. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में, पृथक्-पृथक् उड़ीसा के विकास के लिये कितना धन आवंटित किया गया; और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा सरकार को वास्तव में कितना धन दिया गया और उसने कितना व्यय किया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजनाओं में आवंटित और व्यय की गई धनराशि।

(करोड़ रुपये)

	योजना आवंटन	व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना . .	२१.२३	१८.३१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१००.००	८६.५९
तृतीय पंचवर्षीय योजना .	१६०.००	१६६.०६ (१९६१–६५ प्रत्याशित)

उड़ीसा में मेडिकल कालिज

२२५६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा में चिकित्सा कालिजों के लिये वास्तव में कुल कितनी रकम मंजूर की गई; और

(ख) वर्ष १९६४–६५ में इन कालिजों को कितनी रकम दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). चिकित्सा कालेजों की स्थापना और विस्तार का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया के अनुसरण में राज्य सरकारों को सभी केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के लिए एक मुश्त रकम दी जाती है और पृथक् योजनाओं के लिये नहीं। वर्ष १९६३–६४ में उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये, जिसमें चिकित्सा कालिजों सम्बन्धी योजनाएं शामिल हैं, ६०.१० लाख रुपये की एक मुश्त अनुदान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को वर्ष १९६३–६४ में आपात योजना के अन्तर्गत, जिसको एक केन्द्रीय पोषित योजना माना गया है, चिकित्सा कालिजों के विस्तार के लिए ९,५०,००० रुपये की रकम भी मंजूर की गई।

अभी वर्ष १९६४–६५ में राज्य सरकार को चिकित्सा कालिजों के लिये दिये जाने वाली वित्तीय सहायता को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सन्तुलित भोजन

२२५७. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**: क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य-पदार्थों के आधार पर सन्तुलित भोजन के लिये कोई चार्ट तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के आधार पर सन्तुलित भोजन का कोई चार्ट तैयार नहीं किया गया है लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् भारत का एक भोजन-एटलस (डाइट-एटलस ऑफ इण्डिया) प्रकाशित कर रही है, जो इस समय प्रेस में है ।

पौष्टिक पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने सन्तुलित भोजन के लिये निम्नलिखित पुस्तिकाएं जारी की हैं ।

१. भारतीय खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्व और संतोषजनक भोजन का आयोजन--भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् का विशेष प्रतिवेदन माला संख्या ४२ ।

२. मां और बच्चे के लिए पौष्टिक पदार्थ-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विशेष प्रतिवेदन—माला संख्या ४१–१९६२ ।

३. निम्न लागत सन्तुलित भोजन की सूची और स्कूलों में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम जो (१) दक्षिण भारत के लिये उपयुक्त हों और (ख) उत्तर भारत के लिये उपयुक्त हों ।

महाराष्ट्र सरकार के पौष्टिक पदार्थ विभाग ने भी पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं जिनमें विभिन्न आयु-वर्गों के लिये सन्तुलित भोजन का सुझाव दिया गया है ।

पौष्टिक पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, अखिल भारत स्वच्छता तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) और भारतीय भोजन संस्था द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण और अन्य पाठ्यक्रमों में सन्तुलित भोजन को लोक-प्रिय बनाने पर जोर दिया जाता है ।

मंत्री का परिचय
INTRODUCTION OF MINISTER
(श्री त्यागी)

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं अपने पुराने सहयोगी, श्री महावीर त्यागी का परिचय देना चाहता हूं जिन्होंने आज सुबह पुनर्वास मंत्रालय में मंत्रिपद की शपथ ग्रहण की है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के अन्य सदस्यों के साथ मैं भी श्री त्यागी का, मंत्री के रूप में, स्वागत करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेशी सहायता के प्रयोग संबंधी समिति का प्रतिवेदन, एकाधिकार आयोग

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) विदेशी सहायता के प्रयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति, समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णयों को बताने वाले विवरण सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७७८/६४]**

(२) एकाधिकार आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी दिनांक १६ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७२९/६४]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं (४) अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली के वर्ष १९६२–६३ के वार्षिक लेखे की एक प्रति तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३१/६४]

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं (३) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८, की धारा ४५ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम की वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष १९६२–६३ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकलाय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३०/६४]

सीमाशुक अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :–

(५) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५२८।

(दो) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५२९।

(तीन) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३०।

(चार) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३१।

(पांच) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३२।

(छै) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३२/६४]

(६) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३४।

(दो) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३५।

(तीन) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३६ ।

(चार) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३७ ।

(पांच) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३८ ।

(छै) दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ५३९ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० २७३३/६४']

अनुदानों की मांगे;—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वित्त मंत्रालय

वर्ष १९६४–६५ के लिये वित मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईः—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१९	वित्त मंत्रालय	२,०३,७५,०००
२०	सीमा शुल्क	४,२५,१०,०००
२१	संघ उत्पादन शुल्क	१०,२१,४१,०००
२२	निगम कर आदि सहित आय पर कर . . .	७,२२,००,०००
२३	मुद्रांक	२,९१,९४,०००
२४	लेखापरीक्षा	१२,७९,५५,०००
२५	चलमुद्रा और सिक्के . . .	८,९०,९२,०००
२६	टैकसाल	२,४२,६३,०००
२७	कोलार की सोने की खानें	४,७२,४४,०००
२८	पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ . . .	४,९०,५०,०००
२९	प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें . . .	१९,९८,०००
३०	अफीम	५२,३७,०००
३१	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	१,४८,३१,५९,०००
३२	योजना आयोग	१,०१,४१,०००
३३	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायतार्थ अनुदान .	२,००,६६,३०,०००
३४	संघ तथा राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के बीच विविध समायोजन	२५,८२,०००

३५	विभाजन पूर्व के भुगतान . .	१३ ६८,०००
११६	इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस पर पूंजी परिव्यय . .	१७,९३,०००
११७	चल-मुद्रा और सिक्कों पर पूंजी परिव्यय .	१० ६४,००,०००
११८	टैकसालों पर पूंजी परिव्यय . . .	३०,३३,०००
११९	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय . .	७३,८७,०००
१२०	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . . .	१,१३,४८,०००
१२१	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	१,६३,४१,७९,०००
१२२	विकास के लिये राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . . .	२५,८६,८८,०००
१२३	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	२,२७,९५,०३,०००

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या १०, ११ और १२ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । हाल ही में नगरों का पुनर्वर्गीकरण किया गया जिस के परिणामस्वरूप जनसंख्या के आधार पर कुछ नगरों को ए एवं बी वर्ग के नगर घोषित किया । इस पुनर्वर्गीकरण के विषय में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु विभिन्न वर्गों से प्रभावित लोगों के मकान किराया भत्ता, देने की प्रणाली एक समान नहीं है । ए एवं बी वर्ग के नगरों में मकान किराया भत्ता १५ और ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत और कम से कम १० और १५ रुपया दिया जायगा परन्तु सी वर्ग के नगरों में किराया केवल ७$^{1}/_{2}$ रुपये एक समान दिया जायगा । अतः सी वर्ग के नगरों के लिये यह सीमा निर्धारित कर देना और यह कहना कि १४३ रुपये से अधिक वेतन पाने वालों को किराया नहीं दिया जायगा सर्वथा अनुचित बात है । सी वर्ग के नगरों में किराये की प्रतिशतता बेशक कम हो परन्तु किराया देने का आधार ए एंव बी वर्ग के नगरों के समान ही होना चाहिए । इस के अतिरिक्त, सी वर्ग के नगरों के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता बिल्लकुल ही नहीं दिया जाता । उन्हें कुछ न कुछ प्रतिकर भत्ता दिया जाना चाहिये ।

मेरा कटोती प्रस्ताव संख्या ११ जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और एजेंटों के बारे में है । वहां के कर्मचारियों में यह भावना पैदा हो गई है कि उन का शोषण हो रहा है । उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता । कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों से मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । बम्बई में जीवन बीमा निगम के एजेंटों की संस्था ने लिखा है कि उन्होंने जो मांगें प्रस्तुत की उनके बारे में कोई उत्तर ही नहीं दिया गया । जीवन बीमा निगम कर्मचारी सहकार कैंटीन लिमिटेड ने लिखा है कि निगम के पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के हितों की अवहेलना की जाती है । इसी तरह कलकत्ता, से भी शिकायतें आई हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों के अभ्यावेदनों की ओर उचित ध्यान दिया जाय और उन के लिये हितों का ध्यान रखा जाय ।

मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १२ राजकोट से जीवन बीमा निगम के डिवीजनल मुख्य कार्यालय को बाहर ले जाने के बारे में है । इस केन्द्रीयकरण के परिणाम स्वरूप निगम पालिसी होलडरों और कर्मचारियों से और भी दूर हो जायगी जो बात अहितकर होगी । स्वयं वित्त मंत्री ने कहा था कि वह निगम के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में है परन्तु उनकी उस नीति को उलटे ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । माननीय वित्त मंत्री को स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिए ।

विदेशी पूंजी को देश में विनियोगन करने के लिये माननीय वित्त मंत्री तथा उनके मंत्रालय द्वारा जो प्रयत्न किये गये हैं, उनके लिये वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु केवल कर-छूट अथवा अधिक लाभ देकर विदेशी पूंजी का विनियोजन नहीं हो सकता । इसके लिये हमें विदेशों में भारत के बारे में अनुकूल वातावरण पैदा करना होगा ।

इस सभा के कुछ सदस्यों, को जिन में मैं भी था, कल शाम एक बड़ा दुखद अनुभव हुआ। हम इजराइली कोंसुलेट द्वारा इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित राजनयिक भोज में भाग लेने गये थे। परन्तु इजराइल के महावाणिज्य दूत (कोंसल जनरल) ने इसके लिये खेद प्रकट किया कि वह दावत रद्द कर दी गई है क्योंकि अशोक होटल ने दावत होने के कुछ पहले ही रिजर्वेशन समाप्त कर दिया था । हम ने भारत सरकार की इस कार्रवाई पर उन से माफी मांगी । अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी वहां पर उपस्थित थे । उन पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि इस देश में पूंजी लगाने की संभावनाओं की खोज करने आये हैं ? हमारी सरकार को विदेशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा आज प्रातः दिये गये स्पष्टीकरण से स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई है । भारत सरकार का स्पष्टीकरण यह है कि यह कार्यवाही अरब देशों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिये भी की गई है । यह बहुत ही खेद का विषय है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय को इस घटना के लिये इजलराइल की सरकार से क्षमा याचना करनी चाहिये। अशोक होटल तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के इस अशिष्ट व्यवहार की निन्दा की जानी चाहिये। ऐसी घटनाओं से विदेशों में भारत के लिये सहानुभूति पैदा नहीं की जा सकती ।

डा० उ० मिश्र : (जमशेदपुर): समाजवाद तथा भुवनेश्वर संकल्प की इतनी बात होने पर भी , सरकार जनसाधारण की दशा सुधारने की बजाय सट्टा बाजार (स्टांक एक्सचेंज) के उतार-चढ़ाव तथा सट्टेबाजों के भविष्य के प्रति अधिक सचेत है । जन साधारण को तुरन्त राहत पहुंचाने के सुझावों का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है । अपने संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने आदि जैसे साहसी कदम उठाने के सुझावों का सरकार द्वारा तिरस्कार किया गया है । उपभोक्ता मूल्य देशनांक १३५ हो गया है । फिर भी सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की है ।

वित्त मंत्री के पथप्रदर्शन में देश में जस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है उस में मूल्यों पर नियंत्रण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु वित्त मंत्री मजूरी पर नियंत्रण के पक्ष में हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, कि मजदूर वर्ग बढी हुई कीमतों के कारण मुआवजे की मांग नहीं कर सकता । इसका अर्थ है कि श्रमिक वर्ग की वास्तविक

[डा० उ० मिश्र]

आय, बहुत कम हो जायेगी और यह पैसा आसानी से पूंजीपतियों के हाथों में चला जायेगा। यही कारण है कि "लन्दन इकानमिस्ट" जैसी वित्तीय पत्रिकाओं ने ऐसी नीति को लागू करने के लिये वित्त मंत्री बहुत प्रशंसा की है ब्रिटेन की "टोरी" सरकार भी ऐसी नीति का अनुसरण करने का साहस नहीं कर सकती है। निगम क्षेत्र में बचतों के प्रोत्साहन देने के नाम में बड़े बड़े उद्योग तपतियों को भारी रियायतें दी गई हैं। इन सब बातों के बावजूद एकाधिकार निशुल्क नियुक्त करने का ढोंग रचा जा रहा है। एकाधिकार उत्तरोत्तर बढ रहा है। टाटा ने इस्पात और साबुन पर एकाधिपत्य स्थापित करने के बाद अब चाय बाजार में भी प्रवेश कर दिया है। टाटा जैसे उद्योगपतियों ने बहुत से नगरों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जबकि हम लोगों को बसाने के काम में लगे हुए हैं; टाटानगर में टाटा की निजी सेना द्वारा बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। जमशेदपुर में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के समय इन उद्योगपतियों के कारखानों में हथियार तक भी बनाये गये थे और लोगों को ये दंगे फैलाने में बढ़ावा दिया गया था। ऐसे एकाधिकारों को धन का जमाव करने के अवसर दिये गये हैं। सारे का सारा टाटानगर टाटा के आधिपत्य में है। वे स्थानीय शासन की भी परवाह नहीं करते। वित्त मंत्री के मतानुसार अन्तर निगम विनियोजन सामाजिक दृष्टि से हितकर होगा। मेरे विचार में वह यही यही हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों को अधिक दान दिया जा सके। भ्रष्टाचार जांच समिति ने इस चीज को सब से खराब राजनीतिक भ्रष्टाचार बताया है। मंत्रालय द्वारा सदस्यों को दी गई "रेशनेल आफ दि टैक्स प्रापोजल्स" पुस्तक में महत्वपूर्ण उद्योगों को सहायता देने का उल्लेख है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों में पूंजी विनियोजन में सहयता देना है। परन्तु एसे उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सरकारी क्षेत्र में होने चाहिये। और सरकारी क्षेत्र को ऐसे प्रोत्साहन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि वित्त मंत्री इन महत्व-पूर्ण उद्योगों को भी उनके हाथ में सौंपना चाहते हैं।

विदेशी पूंजी विनियोजन को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। देश में समाजवाद का निर्माण निजी विदेशी पूंजी के बल पर नहीं किया जा सकता। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की बड़े बड़े वेतन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस से वे अपनी जानकारी भारतीयों को देनेमें संकोच करते हैं ताकि वे अधिक समय तक भारट में रह कर इतनी सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। कुछ मामलों में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों हमारे तकनीकी विशेषज्ञों से अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यवहार से हमारे तकनीकी विशेषज्ञों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्होंने इस बारे में अपनी नाराजगी भी प्रकट की है,। अतः सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये।

तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारा आयोजन एक ढोंग है। सरकार वर्षों से भूमि सुधारों की बात करती रही है परन्तु अभी तक भूमि खेतिहरों को नहीं सौंपी गई है। यही कारण है कि कृषि की उन्नति नहीं हुई है और पैसे का दुरुपयोग हुआ है। प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी वही दशा है। हालांकि रोजगारों में वद्धि हुई है, परन्तु बेरोज़गारी इस से भी अधिक बढ़ गई है। सरकार को इस प्रकार आयोजन करना चाहिये जिस से देश का वास्तव में विकास हो सके

और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इसीलिये बहुत से सदस्यों ने बैंकों, तेल उद्योग, आयात-निर्यात व्यापार, चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बातें कहीं हैं। सरकार से खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिये कहा गया है। देश-व्यापी आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप सरकार यह महसूस करने लगी है कि खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में लिया जाये। परन्तु निहित स्वार्थ सरकार के रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं। सरकार देश में समाजवाद लाने में तभी सफल हो सकती है जब वह इन निहित स्वार्थों का सख्ती से मुकाबला करे क्योंकि वे इतने शक्तिशाली बन गये हैं कि सरकार जो भी अच्छा कदम उठाना चाहती है वे उसका विरोध करते हैं। अनाज व्यापारियों द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

सरकार को अपनी कराधान नीति में भारी परिवर्तन करना चाहिये। उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे मिट्टी का तेल, कपड़ा, चीनी, तम्बाकू, आदि पर कर भार कम किया जाना चाहिये। इस कदम से कीमतें कम होने में सहायता मिलेगी। स्टोरियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को लोगों को आन्दोलन करने पर मजबूर नहीं करना चाहिये। अपितु स्वयं ही उनको राहत देने के लिये तुरन्त कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

महा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही शिकायतों की जांच की जानी चाहिये। १९६० में सेवा से हटाये गये ५१ व्यक्तियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है और इस विभाग ने उन पर मुकदमा चलाने में लाखों रुपया बरबाद कर दिया है। इन सब बातों की जांच होनी चाहिए।

श्री उस्मान अलीखां (अनन्तपुर): देश के सामने सब से महत्वपूर्ण समस्या चारों ओर फैली हुई गरीबी है। ७० प्रतिशत देहाती जनता ५० नये पैसे प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा करती है। इस गरीबी को दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि हम अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे, अन्न, कपड़ा, रहने का स्थान, तथा दवाइयों के रूप में अपने धन में वृद्धि करें। इस के लिये हमें बेकार व्यक्तियों को काम देना होगा और जिन के पास पूरा रोजगार नहीं है, उनके लिये पूरा रोजगार उपलब्ध करना होगा। चौथी योजना हमें इस तथ्य को सामने रखकर बनानी होगी कि देश की ८० प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और उन्हें हमें उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। हमें उनको काम देना है ताकि वे देश के धन में वृद्धि कर सकें। अतः हमारी योजना कृषि पर आधारित होनी चाहिये क्योंकि अधिकांश ग्रामीण जनता कृषि पर ही निर्भर करती है। हमें अन्न का आयात न करने की दृष्टि से अधिक उत्पादन पर ही जोर नहीं देना चाहिये अपितु हमें कृषि समस्या की कृषि करने वालों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से देखना चाहिये। और यह तभी हो सकता है कि जब प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि की जाये। देहाती तथा शहरों की जनता की आय की असमानता को दूर करने के लिये कृषकों की आय में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। हालां कि योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है, परन्तु उस पर अमल नहीं किया गया है। अप: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर यह प्राथमिकता अमल में लाई जानी चाहिये। ताकि योजना के लक्ष्य के अनुसार कृषि का विकास हो सके। देहाती जनता की खेती पर निर्भरता को कम करने के लिये देहातों में खादी तथा ग्रामोद्योग, पशुपालन, और डेरी उद्योगों का विकास करना होगा ताकि फालतू कृषि मजदूरों को इन कामों में लगाया जा सके। इस से उनकी नगरों की ओर बाढ़ को भी रोकने में सहायता मिलेगी। अम्बर चर्खा चलाने वालों के लिये

[श्री उस्मान अली खां]

इसके नवीनतम माडेल के जरिये इसे आठ घंटे प्रति दिन चलाने पर १ रुपया कमाना संभव हो सकेगा । लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अम्बर चर्खा कार्यक्रम में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने जो नई सहायता योजना लागू की है उस से खादी उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और देहाती लोग कपड़ा सूत के दामों पर खरीद सकेंगे जो कि मिल के कपड़े से भी सस्ता पड़ेगा ।

योजना आयोग उच्च स्तरीय ग्रामोद्योग आयोजन समिति की स्थापना के लिये बधाई का पात्र है, । यह समिति देश में ग्रामोद्योग के विकास सम्बन्ध में बहुत अच्छा काम कर रही है विकास की योजनाओं के बहुत बड़े आकार की दृष्टि से नहीं आंका जाना चाहिये । हमारी कसौटी यह होनी चाहिये कि इन योजनाओं की कार्यान्विति से देहाती जनता के जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ है । रोजगार हीन लोगों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ।.देहातों में कम रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है । यहां तक कि ५० नये पैसे प्रति दिन से कम पर गुजारा करने वालो की संख्या भी १९५४ और १९६२ के दौरान २० करोड़ से बढ़कर २५ करोड़ हो गई है । अतः सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और ग्रामीण बेरोजगारी समाप्त की जा सकती है । अतः ग्रामोद्योगों के लिये सरकार को अधिक धन राशि निर्धारित करनी चाहिये । अब तक जो योजनायें बनाई गई हैं उन में उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है । अतः मेरा निवेदन है कि चौथी योजना में ग्रामोद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके और ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके । योजना बनाने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार में संतुलन बनाये रखना बहुत जरूरी है ।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल): भारत कृषिप्रधान देश है । अतः हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, किन्तु यह दुःख की बात है कि अब तक तीनों पंच वर्षीय योजनाओं में कृषि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिये था । कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने के बारे में सरकार की नीति कभी स्पष्ट नहीं रही है—जिस से कृषि के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है और हमारी योजनाओं की नींव कमजोर पड़ गई है ।

कृषिउत्पादन में अपेक्षित वृद्धि न हो सकने के लिए किसी सीमा तक प्रकृति को दोषी ठहराया जा सकता है, किन्तु जो कुछ हम कर सकते थे और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था वह भी हमने नहीं किया । कृषिका योजनाबद्ध विकास करने के लिए नीति संबंधी मामलों में निर्णय करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय की आवश्यकता है । सरकार को एक अखिल

भारतीय कृषि सेवा का गठन करना चाहिये। कृषि विस्तार का कार्य ग्राम सेवकों से लेकर किसी अन्य संस्था को सौंपा जाय जिस से विस्तार कार्य सुचारू रूप से चल सके।

सरकार को इस बात का निर्णय कर लेना चाहिये कि वह कृषि को गैर सरकारी क्षेत्र में रखना चाहती है अथवा कुछ अन्य देशों की भांति अर्द्ध सरकारी क्षेत्र में । उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषकों को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये। उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कृषकों को उन के उत्पादों के उचित मूल्य दिये जायें । सरकार को इस बारे में कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिए।

यदि सरकार यंत्रों द्वारा खेती करना चाहती है तो कृषकों को इस बात के लिये तैयार करना होगा कि उनकी भूमि में सामूहिक रूप से खेती की जाये क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में मशीनों से खेती करना असंभव है । कृषि का यंत्रीकरण करने से देश में बेकारी की समस्या बढ़ जायेगी । लाखों की संख्या में खेती में काम आने वाले पशु बेकार हो जायेंगे । सरकार को यंत्रीकरण करने से पहले इन सब बातों पर विचार करके कृषि संबंधी एक व्यापक नीति बनानी चाहिये।

यह दुःख की बात है कि भारतवर्ष में प्रतिएकड़ पैदावार संसार के अन्य देशों से कम है । इसका मुख्य कारण है कि हम इस भूमि में लगातार खेती करते आ रहे हैं। जिस से मिट्टी के उत्पादक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इन तत्वों को खाद तथा उर्वरक डाल कर पूरा नहीं किया जाता है । गोबर एक उपयोगी खाद है किन्तु इसके ४० प्रतिशत से भी अधिक भाग का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है । हमें गोबर के ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के लिये कोई अन्य ईधन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके।

हमारी कृषकों को ऋण देने संबंधी प्रणाली दोषपूर्ण है जिस से ५० प्रतिशत से अधिक कृषकों को, जिन्हें वास्तव में ऋण की आवश्यकता होती है, ऋण नहीं मिल पाता । विभिन्न राज्यों में ऋण देने के लिए विभिन्न मापदण्ड निर्धारित किए गये हैं किन्तु सब में कुछ न कुछ कमी है । इस में सब से अच्छा मापदण्ड महाराष्ट्र सरकार ने निर्धारित किया है । महाराष्ट्र में ऋण फार्म उत्पादन योजना के आधार पर दिया जाता है ।

देश के सभी राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने की समान प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि छोटे से छोटे कृषक को ऋण उपलब्ध किया जाये। ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कृषि उत्पादों की मंडियों में उचित रूप से खपत हो । भूमि हीन कृषकों को परिचय कार्ड दिये जाने चाहिये जिसके आधार पर वे विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं से ऋण ले सकें।

सरकार को ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए अधिक संख्या में कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस नहीं देने चाहिए। वर्तमान कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए अधिक कारखाने खोलने से वर्तमान कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता बेकार जायेगी और ट्रेक्टरों के मूल्य बढ़ जायेंगे । वर्तमान स्थिति को देखते हुए कारखानों द्वारा कुछ सीमित नमूनों के ही ट्रेक्टर बनाये जाने चाहियें कि क्योंकि अभी हमारे पास विभिन्न किस्म के पुर्जों की व्यवस्था नहीं है ।

[श्री कृ० चं० पन्त]

हमें बाहर से उसी श्रेणी के ट्रेक्टर मंगाने चाहिए जिनका निकट भविष्य में देश में निर्माण किया जायेगा । जिससे ५ वर्ष बाद जब पुर्जों का आयात बन्द हो जायेगा हम आयात किये गये ट्रेक्टरों में देशीय पुर्जे प्रयोग में ला सकेंगे ।

पिछले १२ वर्षों के अनुभव से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जब तक कृषि संबंधी नीति कृषक को लाभ पहुंचाने वाली नहीं होती तब तक हम कृषिउत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। काश्तकार कृषिउत्पादन बढ़ा सकते हैं। काश्तकार किसानों को यह आवश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनको भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा । उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि की चकबन्दी करना आवश्यक है। सरकार को कृषकों को प्राप्त होने वाले मूल्यों के बारे में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि उचित मूल्य मिलने से कृषकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । यदि सरकार अपनी मूल्य संबंधी नीति का प्रभाव उत्पादन पर चाहती है तो उसे नीति फसल की बोआई के समय घोषित करनी चाहिये।

केज कार्यक्रम एक सराहनीय योजना है किन्तु इस में कमियां होने से लोग इसे क्रियान्वित करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं। सरकार को इस में सुधार करके कार्यक्रम को व्यापक बनाना चाहिये।

देश में तेज़ी से बढ़ती हुई जन संख्या की समस्या भीषण होती जा रही है । इसका स्थायी हल करने के लिये बढ़ती हुई जन्मदर को रोकना आवश्यक है । इसका एकमात्र साधन परिवार नियोजन योजना है, । पाश्चात्य देशों ने अपनी जन संख्या की समस्या परिवार नियोजन से ही हल की है । हमें परिवार नियोजन की योजना को व्यापक रूप से क्रियान्वित करनी चाहिए ।

वित्त मंत्रालयों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
19	2	Shri Kishen Pattnayak	Failure to fix a ratio of 1:10 between the lowest and highest income	Amount be reduced to Re. 1
				रुपये
१९	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि संबंधी मशीनों और औजारों पर सीमा शुल्क में कमी करने की आवश्यकता	१००
१९	६	श्री शिव मूर्ति स्वामी	हथकरघे तथा घरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित सामान का बिना सीमा-शुल्क के निर्यात करने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१६	१०	श्री मी० रु० मसानी	'ग' श्रेणी के नगरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकर भत्ता देने के संबंध में असंगतता	१००
१६	११	श्री मी० रु० मसानी	जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों की शिकायतें	१००
१६	१२	श्री मी० रु० मसानी	जीवन बीमा निगम के मुख्यालय को राजकोट से हटाने का प्रस्ताव ।	१००
30	16	Shri Kishen Pattnayak	Exploitation of agriculturists and Smuggling in opium	100
32	17	Shri Kishen Pattnayak	Failure to improve the economic condition of the masses.	Amount be reduced to Re. 1.
३१	१८	डा० मां० श्री० अणे	दो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनियों के पालिसीधारियों के लिए बोनस की घोषणा की समस्या	१००
१६	१६	डा० मां० श्री० अणे	नगरों के पुनश्रेणीकरण के परिणाम स्वरूप नगर प्रतिकर भत्ते और मकान किराया भत्ते की एक मुश्त व्यवस्था	१००
१६	२८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	जीवन की अन्यावश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी नीति में परिवर्तन	१००
१६	२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आय व्ययक में अनुत्पादक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिये निर्धारित राशि में वृद्धि	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
१९	३०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	के ५० प्रतिशत राशि का राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की आवश्यकता ।	१००
१९	३१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	सूत, कपड़ा, चीनी, मिट्टी तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर से अप्रत्यक्ष कर हटाने की आवश्यकता ।	१००
१९	३२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषकों को पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था की आवश्यकता ।	१००
१९	३३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषि और गांवों की अर्थ व्यवस्था का विकास करने के लिए आयव्ययक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता ।	१००

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): Planning and Finance, both cover a very wide range. Our Planning will not be called a real national planning unless and until its benefits reach the common man in the country. It is by analysing the Budget, that is presented every year, that we are able to know as to what amounts are being spent on the nation building activities and on the social services. We have got copies of the "Central Budget in Brief" for the years 1962-63 and 1963-64, but I do not know why the copies of such an analysis for the current year have not been placed before the House.

In a Budget of Rs. 1480 crores, only Rs. 359·4 crores were allocated for nation-building activities and for social services in the year 1962-63, which was hardly 24 per cent. I want to appeal with all the emphasis at my command that more than 50 per cent of the total revenues should be marked for such purposes, otherwise the Budget shall be termed as non-productive and also a budget for the administration only. It is all the more deplorable that budgetary allocation during the year 1963-64 for such purposes was further re duced to 18 per-cent. The Government impose taxes on the poor people with the declared objective of improving their economic lot and of developing the country, but its actions belie those objections. The Government have been constantly reducing the allocations for nation-building activities.

I will explain the nation-building activities, so as to make clear the impact of insufficient allocations. Irrigation and other works of development, Scientific departments, Education, Public Health, Rural Development, cooperation, agriculture, industry, etc., all these come under the head nation-building activities. The revenues that the Government obtains from the people in the name of planning and in the name of raising the lot of the people are not being spent on development and in productive purposes. The country will not progress in this way. 50 per cent of the national income comes from the agriculturists, but 82 per cent of the allocations are made for administrative purposes. This is most unfair. This is hoodwinking the people in the name of planning.

I remember, in the year 1946, when some Ministers went to seek blessings from Gandhiji, they were told to abolish salt Tax. I will tell you how I interpret his words. What Gandhiji wanted to say was that excise duties on the necessities of life should be abolishod. Excise duty on the necessities of life is imposed by a state which seeks to exploit her subjects. But 52 per cent of our revenues come from the people in the shape of either excise duty on other indirect taxes.

Let us see what the Government have done this time. Gramophone records have been exempted from taxation but the tax on Kerosene oil remains, on Shakkar and textiles it remains. A new tax has been imposed on yarn. All these measures adversely effect the poorer sections of the people, In fact the excise duty and the indirect taxes should have been withdrawn. Remember the Dandi March. The object of the Dandi March was not to tax the necessities of life. Such measures are justified only in a state having dictatorship and in state which is anti socialist. The Government whose aim is to bring Socialism can never do such things. If we want to establish Ram Rajya, such practices must be discontinued.

The second slogan of Gandhiji was "Unite Hindus and Muslims, Remove untouchability, take to Khadi". But to-day the weavers are starving, the Goldsmiths are starving. I have not seen a more reactionary law than the Gold Control Order. The object of this order was to end smuggling. But smuggling goes on to-day as ever. Any quantity of gold can be purchased from the market. The excise inspectors appointed by the Government receive illegal gratifications. There is no check upon them. The rich and the capitalists have not declared the gold that they possess. If the Government is really serious about implementing this Order, it should seize all gold except 10, 5, 4 or 3 tolas, which quantity a person may be allowed to keep. But the present Order is based upon misunderstanding and it should be changed. Instead of making the poor people die of starvation, the Government should take away all the gold that the Capitalists possess.

The Government is not justified in making allocations for non-productive purposes, like family planning, social welfare and training in handicrafts. Has any woman been able to earn her living after receiving handicraft's training? Could the family planning programme not be carried through the delivery Centres which are in existence? To waste money in a country where per capita income is 4 annas, is not justified. I cannot tolerate that the Government should impose such systems on us as are prevalent in America, Britain and Russia. I want that our plans should be farmer oriented. Their aim should be the upliftment of the masses, the betterment of their economic lot. Planning can never be successful unless 50 percent of the revenues are marked for the developmental services. The practice of spending money on non-productive purposes should be stopped.

श्री करुथिरमण (गोबीचेट्टिपलयम): आय व्ययक में उचित कर व्यवस्था करने के लिये वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। करों का भार बहुत होने पर भी कर दाता

[श्री करुथिरमण]

इस भार को खुशी से सहन करने के लिये तैयार हैं बशर्ते कर के रूप में प्राप्त राशि का अपव्यय न कर के देश के लाभ के कार्यों में समुचित उपयोग हो ।

यदि देश में करापवंचन न होता तो नये करों में से २५ प्रतिशत कर लगाने की कतई आवश्यकता नहीं होती । सरकार को करापवंचन को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से अपवंचन की जाने वाली राशि का उपयोग देश के विकास कार्यों के लिए संभव हो सकेगा ।

तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम खाद्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस से यह साबित होता है कि हमारी कृषि योजना में कहीं न कहीं कुछ कमी है जिस से योजना आयोग के सदस्य समझ सकने में असमर्थ हैं।

आयोग के सदस्य एक ओर तो समाज के समाजवादी ढांचे की बात करते हैं और कृषि की कुल आय ३,६०० रुपये वार्षिक निर्धारित की जाती है और दूसरी ओर ये सदस्य स्वयं ४०,००० रुपये वार्षिक वेतन के रूप में लेते हैं । ४०,००० रुपये लेने वाले को कृषक की आय ३,६०० रुपये निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये ।

नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, इस प्रकार की असमानता होना अनुचित बात है । नगरीय क्षत्रों का निरंतर तेजी से विकास हो रहा है और वहां पर सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई जब कि कृषक निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का स्वामी नहीं हो सकता है । इसका कारण ग्रामीण लोगों का सीधापन है । उन से जो कहो वे बिना विरोध किये मान जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का इस सभा में प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है जिस से उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है ।

कृषकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । खाद्यान्नों के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कम हैं। जब भी खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाने की बात होती है तो चारों ओर से कब विरोध किया जाता है जिस से मूल्य नहीं बढ़ पाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है जब कि अन्य चीजों के मूल्य बिना किसी विरोध के बढ़ जाते हैं। सरकार की नीतियों से सदैव नगरीय क्षत्र को लाभ हुआ है और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है , जब कि कृषि देश की अर्थ व्यवस्था का आधार है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों तथा अन्य विकास के कार्यों पर कृषि की अपेक्षा कई कई गुना धन राशि व्यय की जा रही है । आज कृषि की दशा भी इतनी खराब हो गई है कि कोई भी व्यक्ति कृषक के बजाय मजदूर होना अच्छा समझता है । सरकार को कृषि की दशा सुधारने के लिये ठोस प्रयत्न करने चाहिये । कृषि में रुचि लेने वाले लोगों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाये उपलब्ध करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्व-विद्यालय होना चाहिए ।

आज कृषि में उत्पादन लागत दस गुनी बढ़ गई है । कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली भी उद्योगों की अपेक्षा आधी मात्रा में और दुगनी दर पर दी जाती है । प्रत्येक मामले में कृषि की अपेक्षा उद्योगों को ही प्राथमिकता दी गई है । कृषकों को उसके उत्पादों के उचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना खाद्यान्नों का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है ।

सरकार की मूल्य संबंधी नीति उत्पादक अथवा उपभोक्ता में से किसी के लिये लाभदायक नहीं है । यह केवल बिचौलिये व्यापारियों के लिये लाभदायक है । सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । सरकार को चाहिए कि वह निर्धन कृषकों के बच्चों के लिए देश भर में निःशुल्क व्यवस्था करे ।

मैं कृषि के मामले में १००० रुपये की अधिकतम सीमा स्वीकार करने को तैयार हूं । सभी गरीब और अमीर को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए । बड़े बड़े अधिकारी बहुत लाभ उठा रहे हैं । मतलब यह है कि आयोजन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि देश में समाजवादी समाज का निर्माण हो और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो । मेरे विचार में जो योजनायें अब आ रही हैं उन में देश में सुधार होगा । हमारे वित्त मंत्री बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं । यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किसानों को क्या कीमत मिलने जा रही है । हमें किसानों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिएं । उर्वरकों और ट्रैक्टरों की कीमत कम की जानी चाहिए । यदि हमने इन चीजों का ध्यान न रखा तो कृषि उत्पादन को बहुत हानि पहुंचेगी । मेरा निवेदन है कि योजना आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सम्भव हो किसानों के लिए किया जाय ।

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया): हमारी अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से हमारा कृषि क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है । सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । सभी दिशाओं में लोग आगे बढ़े हैं परन्तु बेचारा किसान वहीं का वहीं है और वैसे का वैसा है । हमें कृषि क्षेत्र का स्तर भी बढ़ाना होगा ताकि किसान भी आधुनिक जीवन का कुछ रस ले सकें । खेती के औजारों का कोई उद्योग नहीं । उसका निर्माण किया जाना चाहिये ।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि योजनायें बनाई गयीं, परन्तु उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है । बिजली का निर्माण काफी मात्रा में किया जाता है परन्तु वह समुचित रूप में लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाती । ट्रैक्टर बनाने की भी कोई व्यवस्था देश में नहीं है । लंका में जो ९००० रुपये का बनता है वह यहां १७००० रुपये में फैलता है । नीचे के वर्ग के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है । लोगों का बहुत सा धन मुकदमें बाजी में समाप्त हो रहा है । इस से उनका जीवन बहुत दुःखी हो रहा है । उनका बहुत सा खर्च इस तरह हो जाता है । बिहार में पूर्णिया का जिला काफी पिछड़ा हुआ है । १९५५-५६ में बिहार में बानगंकी में एक सहकारी चीनी मिल बनाने का निर्णय किया गया था । परन्तु अभी तक इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया । भूमि भी अर्जित कर ली गयी थी और संयंत्र भी खरीदा जा रहा था परन्तु पता नहीं क्या हो गया है ।

कृषि के लिए वैसे ही केन्द्रीय सरकार बहुत कम सहायता दे रही है । राज्यों के साधन वैसे ही कम हैं । धनाभाव के कारण राज्यों के पास शिक्षा, उद्योग, परिवहन, सामुदायिक विकास और सहकारिता इत्यादि का काम बन्द हो गया है । अतः मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार को इस सिलसिले में राज्यों की सहायता करनी चाहिए । बिहार को तो वैसे ही बहुत सहायता की आवश्यकता है ।

[श्री फ० गो० सेन]

पटसन ही एक ऐसी वस्तु है जिस से विदेशी विनिमय पैदा किया जा सकता है । मेरा चुनाव क्षेत्र पटसन पैदा करने वाला क्षेत्र है । वहां की देहाती जनता को अपनी उपज बहुत कम दामों पर बेचनी पड़ जाती है । पटसन की कीमत की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । यह भी प्रयत्न किये जाने चाहिये कि अच्छी प्रकार की पटसन देश में पैदा की जाय जो कि पाकिस्तान में पैदा होती है । कोसी परियोजना क्षेत्र में इसे पैदा किया जा सकता है । अन्त में पुनः वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह योजना को कार्यान्वित करने के लिए बिहार को अधिक से अधिक धन दें ।

Shri Bal Krishna Singh (Chandauli) : The main thing in connection with the plan is how to implement it. This is the most important. If the process of implementation is not proper then there will be no advantage of the plans. In connection with the places there are three things which should be kept in view. The plan should be worthy of the country and should envisage the welfare of the people. Secondly this should be clearly in the minds of everybody as to how it is going to be implemented. Thirdly the country should be prepared for the plan, the favourable atmosphere must be created in the country. In this connection I may state that unless the economic condition of the agriculturists does not improve you cannot expect anything. The agriculturists live in villages and form 80 per cent of country's population. There could be no progress in the Industries until their purchasing capacity increases. The progress of Industrialization depends upon the purchasing capacity of the people. I mean to say that we shall have to do every thing to raise the standard of life of the farmers.

In order to create opportunities for the farmers to get the work are the 12 months in this year. It is very essential that transport facilities should be provided to the farmers and the cottage Industries should be revived so that farmers may get part time work in these Industries. For this purpose the electrification of rural areas also becomes essential . The cottage Industries can prosper well with the help of electric power. It is also suggested that small Industries should be run through cooperative Societies.

The Vice-Chairman of the Planning Commission Shri Mehta has called Uttar Pradesh as the sick man of India. I think he has not studied the conditions prevailing there. I am of the opinion that big projects are not needed there. Arrangements should be made to start small industries there. I find that Planning Commission had neglected the backward areas altogether.

Coming to the Panchayats and the development blocks, I may state that these institutions can implement the plan properly by organizing the people. But the difficulty that is being experienced in this connection is that the responsibility of these institutions have not been properly and clearly defined. Government Officers do not care for these institutions. We should very carefully see that the Chinese invasion, an d the influx from Pakistan should not be allowed to hinder our plans. We must understand that we are a secular state. Some people here are also trying to create rift amongst the different Communities. We must remain alert from such elements. The elements disloyal to the country should be dealt with strong hands. They should not be allowed to live in this country.

The areas which are situated on the bank of the River Ganges, have no irrigation facilities and are usually troubled by floods. The water scarcity in the hill area of Chakia should also be attended to, and the problem of the floods in some regions on the bank of Ganges as stated above should also be tackled.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरकार योजना को कुशलतापूर्वक चला कर विदेशी सहायता का उत्तम उपयोग किये जाने की आशा करती है । इस सिलसिले में जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है उस से यह पता चलता है कि सरकार ने उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । इस संदर्भ में स्थिति को तनिक स्पष्ट किया जाना चाहिए । खेद का विषय यह है कि सरकार तथा योजना आयोग के विभिन्न विभागों में अपेक्षित समन्वय नहीं है । परियोजना में जो देरी हो जाती है उसका सब से मुख्य कारण यह है कि बाद में परियोजना के कार्यों में परिवर्तन कर दिया जाता है । मेरा निवेदन यह है कि देरी होने के इस कारण का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए । परन्तु इस के साथ ही भूमि अधिग्रहण, बस्तियों इत्यादि के निर्माण सम्बन्धी कारणों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विदेशी सहायता का उपयोग ठीक ढंग से किया जा सके । और इस में किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाये ।

मुझे इस बात का हर्ष है कि एक स्वाधिकार आयोग की नियुक्ति कर दी गय है । इस आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य करना चाहिए । यदि यह आयोग दलबन्दी से ऊपर उठकर काम न कर सका तो यह कोई लाभदायक कार्य नहीं कर सकेगा । साथ ही यह गैर सरकारी क्षेत्र के साथ भारी अन्याय होगा । केन्द्रीय उत्पादन पुनर्गठन आयोग ने बताया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इस बिक्री कर का गुह्य रूप है जो मूलतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है । क्या अब देश में उत्पादन शुल्क को दूरगामी पुनर्गठन करने के हेतु संविधान में संशोधन करने का विचार है ।

यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि करारोपण जांच आयोग ने बिक्री कर वसूल करने के काम को केन्द्र के अन्तर्गत लाने का विरोध किया है । इसी प्रकार बिक्रीकर को हटा कर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव अभी तक उत्तरी मंडल परिषद् के समक्ष है । इस में तो कोई मतभेद वाली बात नहीं है कि बिक्री कर व्यापारियों के लिए बड़ी ही परेशानी का कारण है । इससे उन के काम में काफी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं । राज्य भी इस से बच नहीं सकते । उन्हें इसकी वसूली में होने वाली कठिनाइयों के कारण बड़ी भारी राशि की हानि उठानी पड़ती है । बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाना इस परेशानी तथा कर अपवंचन की समस्या को सब से अच्छी प्रकार हल करने का उपाय है ।

मेरा एक सुझाव यह है कि क्योंकि सभी लोग आर्थिक मामलों की जटिलताओं को नहीं समझ सकते, अतः एक छोटी सी आर्थिक संपद् बनायी जानी चाहिए । इसमें दोनों सदनों के सदस्य लिये जाने चाहियें । यह सदस्य वे हों जो आर्थिक मामलों को समझ सकें और वित्तीय मामलों पर सविस्तार चर्चा कर सकें । यदि ऐसा न होगा तो कई जिम्मेदारियों को नहीं निभाया जा सकेगा । अतः मंत्री महोदय को मेरी बातों पर विचार करना चाहिए ।

श्री प० ना० कयाल (जयनगर) : देश की स्वतंत्रता के बाद हम ने देश के हित को दृष्टि में रखते हुए सम्मिलित अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया । यह दुर्भाग्य की बात है कि योजना का कार्य ठीक ढंग से नहीं चला है । हमारे योजना निर्माताओं ने अधिक से अधिक करों से धन इकट्ठा करने का रास्ता अपनाया है । परन्तु वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी । जिन लोगों के द्वारा करों के भुगतान की आशा थी, उन बड़े बड़े लोगों ने करोड़ों रुपयों का कर अपवंचन किया है । इस बारे में मेरा मत यह है कि हमारी योजनाओं के बनाने वालों ने समस्याओं का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया ।

भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, बड़े बड़े अधिकारी किसी व्यक्ति को ऋण अथवा 'परमिट' देने के लिए भारी घूस मांगते हैं। सरकार को इस स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये। यह भी एक कठिनाई है कि लोगों से जो धन इकट्ठा किया जाता है वह उन्हें वापिस नहीं जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप लोग गरीब होते जा रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोगों और प्रशासन के बीच एक सम्मानजनक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। संसद् सदस्यों को भी प्रशासन पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह उनका आदर करे।

इस समय देश में समाजवाद की स्थापना की बहुत आवश्यकता है । लोकतंत्र प्रणाली को कायम रखना देश के हित में बड़ा जरूरी है । सरकार को प्रशासन को सुधारने की दृष्टि से ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। ईमानदार अधिकारियों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए ।

आपको कौन लोग धन देंगे और कैसे उसका वितरण किया जायेगा ? हमें देश में लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना करनी चाहिये । कोई तानाशाही होता तो वह जैसे चाहता करता किन्तु हमारे नेता ऐसा नहीं चाहते और वे संतुलन रखना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया है । जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह बहुत गरीब था। यह संम्भव नहीं कि आजाद होने के दूसरे ही दिन आपको रेडियो, ट्रांसिस्टर और गलीचे मिल जाएं । प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको चाहिए कि ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि उन के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती): मैं योजना और वित्त मंत्रालय की मांगों के प्रशासनिक और प्रविधिक ब्योरे को न ले कर औद्योगिक संकल्प के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो हमारी समस्त आर्थिक नीति के लिए पथप्रदर्शक है ।

हम समाजवाद की स्थापना के लिए वचन बद्ध हैं किन्तु आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की स्थिति इसके प्रतिकूल है ।

प्रधान मंत्री को चाहिए कि वे इस बात पर अधिक गंभीरता से विचार करें कि उत्पादन बढ़ाने की उन्मत आकांक्षा से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ अन्य बातों की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णमाचारी ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की स्थिति को कम कर के बताया है । वास्तव में यह चीज हमें ब्रिटिश से विरासत में मिली है और कुछ परिवारों को गैर सरकारी कम्पनियों के नाम पर अधिकाधिक सत्ता प्राप्त करने का अवसर दे रहे हैं। सच तो यह है कि

इस स्थिति को हमारे मित्र अमरीका जैसे देश भी पसन्द नहीं कर रहे । जान पीव्थेक्सि का कथन है कि भारत में एकाधिकार विरोधी कानून की सर्वाधिक आवश्यकता है । और इस स्थिति के प्रति रचनात्मक उदासीनता प्रकट की जा रही है ।

आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण विकासशील देश की अस्थायी समस्या के रूप में नहीं है बल्कि गैर सरकारी कम्पनियों में सत्ता के केन्द्रीयकरण की क्षमता असाधारण है और उन्हें बहुसंख्या शेयरों पर अनन्य अधिकार है और हम सब नियमों तथा विनियमों द्वारा इन जटिलताओं को दूर करने का वास्तविक प्रयत्न कर रहे हैं ।किन्तु इस से हम उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि यह कठिनाई मूल-भूत है । थेविस का कथन है कि औद्योगिक केन्द्रीकरण और प्रतियोगिता विरोधी प्रथाओं पर वास्तविक नियंत्रण होना चाहिये ।

हम एकाधिकार आयोग की स्थापना के बिना भी यह काम कर सकते हैं। सरकार भली प्रकार जानती है कि बुराई कहां है और उसे दूर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय होने चाहिये ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित औद्योगिक नीति अव्यवस्थित ढंग से चल रही है । मैं विदेश से सामान्य पूंजी को आमंत्रित करने का विरोध नहीं करता किन्तु इस नीति में विशेष लचीलापन होना चाहिये। सामान्य पूंजी केवल ऐसे क्षेत्र में आमंत्रित करनी चाहिये जिस में प्रविधियों की आवश्यकता हो और जिस से उद्योगों के कार्यक्रम को कृषि के अनुकूल कार्यक्रम में बदला जा सके । हमारी अर्थ व्यवस्था उत्पादन और वितरण दोनों के अनुकूल होनी चाहिये तभी नयी समाजवाद की स्थापना हो सकती है । आज योजना कार्यक्रम तेज औद्योगीकरण पर आधारित है कृषि उत्पादन में तेजी पर नहीं । इस से तो हम वर्षों तक भुखमरी से बचने के लिए विदेश से अनाज आयात करते रहेंगे। इसलिए सारे दृष्टिकोण को बदलना है । इस समय आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण उत्पादन वृद्धि, विदेशों से धन लेने के लिए दौड़ धूप और महान खतरों का महत्व कम कर के बताने की प्रवत्ति है और हम समाजिक मानवीय और प्रशासनिक पहलुवों की उपेक्षा कर रहे हैं।

पहले प्रशासनिक पहलू को लीजिये। आप चाहें कितना धन ले लें कितने विशेषज्ञ मंगा लें जब तक प्रशासन में आमूल सुधार न हो स्थिति नहीं सुधरेगी । जिन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को प्रशासनिक त्रुटियों का ज्ञान है उन्हें इस मासले पर विचार करना चाहिये और समस्या का हल निकालना चाहिये।

अब मैं मुनाफे के पहलू के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने जो यह कहा है कि तीसरी योजना के आखिर में सरकारी उद्योग क्षेत्र से ५५० करोड़ रुपये का मुनाफा होना चाहिये उस से मैं सहमत नहीं हूं । इस क्षेत्र के ४९ उपक्रमों में से ७ या ८ तैयार नहीं हुए । शेष सब को एक ही कम्पनी समझ लिया गया है और अनुमान है केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से ३०० करोड़, रेलवे से १०० करोड़ रुपया और राज्यों के उपक्रमों से १५० करोड़ रुपये का मुनाफा मिलना चाहिये। वास्तव में सरकारी क्षेत्र में मुनाफे का आधार रुपया पैसा ही नहीं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास होना चाहिये। हमें दीर्घावधि के लिए पैसा लगाना चाहिये जिस पर २० या ३० वर्ष बाद मुनाफा मिले। इस मुनाफे में सामाजिक पहलू निहित होना

[श्री के० दे०मालवीय]

चाहिये इसके बिना सरकारी क्षेत्र के प्रति अन्याय होगा । इसीलिए मैंने कहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प का पालन होना चाहिये और प्रशासनिक सुधार होने चाहियें । आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में कमी होनी चाहिये जिस से देश की प्रगति हो सके ।

अन्त में मैं पुन: निवेदन करता हूं कि सरकार के सामाजिक उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सारे प्रश्न पर विचार करना चाहिए ।

Shri Rameshwaranand : I have been atentively listening to the members who spoke before me. All have been emphasising on this thing that there should be planning but the fact is that the plans are not successful. The reason for this failure is that the persons who formulate the plans, know nothing of the subjects for which plans are made.

For example plan for agriculture is framed in the Krishi Bhawan where nothing can be cultivated. Unless and until the plans are worked out with the active cooperation of the men who are actually at work, those are found to foul.

The B.D.Os. and village level workers employed for guiding the farmers know nothing about the cultivation. I asked for the guidance of a B.D.O. for growing paddy under the Japanese system but he gave me very impracticable suggestions. The farmer only knows the problems of cultivation. Under the British regime the farmers were given subsidy for sinking wells but now they are being burdened with credit. They have sunk tube well with their efforts but electricity is not supplied to them unless and until the palm of the authorities is not greased.

The lands with many farmers is not cultivable. Either it is barren or filled with water-water, fertilizers and seeds are not supplied to them in time. Under such conditions how can they increase the production.

It is essential for the administrators that they should themselves know the job. But here the ministers know only to deliver the speeches and nothing more.

Our country is fourth in production of iron in the whole world. We lead in the production of mica. The country is rich in its resources. We can produce so much electricity that each hearth and home can be provided with light and heat. But so far we have produced only 2to 3 % of it and the distribution of it is all the more uneven.

People are starving and half-nourished. Those who can get more should show restrain. Each man requires 32 yards of cloth but here average supply of cloth is 16 yards. Besides that the distribution is not even. The farmer remains naked whereas the rich have amassed all the eminities of life. Deficit financing would never allow the prices of commodities to fall. For brining the the prices down it is necesscry that the rich are taught to live in austerity. The ruling people are amassing wealth in the name of Mahatma Gandhi and they are not following his teachings.

There is 9% increase in the industrial production whereas in agricultural production 7% decrease has been recorded. Irrigation facilities should be increased for increasing the agricultural production. If the amount which is being spent on imports of foodgrains is given to the farmers, they would increase the production and make India self-sufficient.

Sterilization is no remedy to check growth of population. Rather this growth should not be checked because we have to fight China. Celibacy is the proper way to check the growth of population.

The farmers are being put to great difficulties. In Punjab they used to fulfil their requirements by utilizing gur but now they are not allowed to manuacture gur. The plans should be prepared by the persons who do the job and know the problems of the trade.

(श्री थिरुमल राव पीठासीन हुए)

[Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

So I request you that you should entrust the job of preparation of plans to men who are active and who do the job. Then the plans would be successful.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) : हाल ही में फोर्ड फाउंडेशन का एक दल भारत आया था । उसका कथन है कि भारत में कर अपवंचन बहुत अधिक होता है और विशेष रूप से व्यसावायिक लोग और वकील इसके अपराधी हैं । दुर्भाग्य की बात यह सरकार यह जानते हुए कि कर अपवंचन कहां कहां होता है इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं कर रही ।

पिछले दो वर्ष से हम यहां बर्ड एण्ड कं० की चर्चा कर रहे हैं । वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे किसी दबाव में नहीं आयेंगे । किन्तु श्री भगत का कथन था कि कम्पनी की पुस्तकों मे किसी मंत्री का नाम नहीं है । वास्तव में उनके पास वे पत्र हैं जिन में ३० लाख रुपये और विदेशी मुद्रा का उल्लेख था । ये पत्र पुलिस को क्यों नहीं दिये गये ताकि इसकी पूरी जांच कर सकते ।

हम और व्यक्तियों के बारे में भी कहते रहे हैं किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

बैंक आफ चीन का मामला १९६२ से पड़ा है । आम चुनाव से कुछ ही देर पहले श्री ज्योति बसु, श्री स्नेहाशु आचार्य, बीरेन राय, नेशनल बुक एजेंसी और ब्लिटज़ निकालने वाली कम्पनी ने इस बैंक से रुपया लिया था । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है इसीलिए इन लोगों को पकड़ा गया है । किन्तु अब वे बतायें कि वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं क्योंकि वे कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे ।

राजधानी मे 'लिंक' और "पेट्रियाट' नामक दो पत्र निकल रहे हैं । इन के अभिलेख पढ़ने से विचित्र बातों का पता लगेगा । 'पेट्रियाट' एक लिमिटेड कम्पनी द्वारा निकाला जाता है और उसमें हैदराबाद के निज़ाम ने १००० रुपये के और साम्यवादी दल के अध्यक्ष ने ३०,००० रुपये के शेयर खरीदे हैं । पत्र को चलाने वाली यूनाइटेड इंडिया पीरियाडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी ८ लाख रुपया है और भारत के केन्द्रीय बैंक ने उसे १५ लाख रुपये का ऋण दे दिया है । प्रश्न यह है कि यह ऋण किस प्रतिभूत पर दिया गया है ।

रायसेना पब्लीकेशन्स के हिस्सेदारों की सूची देखिये । उसमे कुछ एकाधिकार बने हुए हैं । न केवल निदेशक बल्कि कम वेतन पाने वाले लोग भी उनके अपने रिस्तेदार हैं । प्रमोद बनर्जी ने २ लाख के शेयर खरीद रखे हैं अन्य १०,००० और १५,००० के शेयर खरीदने वाले लोग भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग आय-कर देते हैं ? उन्हें इतना धन कहां से मिलता है ? इस तरह की बेईमानी पूर्ण चालें होती हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही । वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि वे चौथा वित्त आयोग नियुक्त करेंगे ।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदानों और ऋणों के रूप मे काफी धनराशि दिये जाने के बावजूद भी राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों द्वारा यह धनराशि उन प्रयोजनों पर व्यय न कर, जिनके लिये वह दी जाती है, किसी अन्य प्रयोजन पर व्यय की जाती हैं। इस बात की रोकथाम के लिए इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्तावित चतुर्थ वित्त आयोग को चाहिए कि वह प्रत्येक राज्य में अगले ५ वर्षों मे होने वाले प्रादेशिक विकास कार्यों का विवरण तैयार करके उन पर ५ वर्षों में व्यय होने वाली राशि का निर्णय करे और उसी के अनुसार संबंधित राज्य को अनुदान या ऋण दे। इससे केन्द्र सरकार को राज्यों मे चालू परियोजनाओं पर होने वाले व्यय के बारे में पूरी जानकारी रहेगी और राज्य सरकारें चातुर्थपूर्ण उपायों से केन्द्र से धन नहीं ले पायेंगी।

योजना आयोग के गठन में भी अनेक त्रुटियां हैं। इसके सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर नहीं अपितु उनकी वर्तमान स्थिति को देख कर किया जाता है। जिससे कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू नहीं होता है। प्राक्कलन समिति ने हाल के अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यक्रमों के लिये दिये गये धन का उपयोग नहीं हो सका। यह सब योजना बनाने वाले लोगों की अयोग्यता की निशानी है। योजना आयोग में नौकरशाही का बोलबाला है। प्रधान मंत्री जी ने, जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं, योजना आयोग के कार्यों की आलोचना की है।

सरकार को स्पष्ट रूप से इस बात का निर्णय करना चाहिए कि योजना आयोग स्वायत्त-शासी निकाय के रूप में रहेगा अथवा वह भारत सरकार के एक विभाग मात्र के रूप मे कार्य करेगा। यदि यह एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में काम करता है, तो निश्चय ही इसे संविहित निकाय बनाना होगा जो कि मामलों की जांच उनके गुण और दोषों के आधार पर करके अपनी राय दे सके। बाद मे इन्हें कार्यरूप देना सरकार का काम है। यह निकाय कार्यक्रमों की प्राथ-मिकता भी निर्धारित कर सकेगा। इससे हमारी योजनायें अधिक सुचारू रूप से चल सकेंगी।

जीवन बीमा निगम का कार्य स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बहुत अच्छा रहा है। किन्तु अब इसमें भी कुछ केन्द्रीयकरण की भावना आ गई है। जिला मुख्यालयों को बड़े नगरों मे लाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे निगम के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। निगम की ७० प्रतिशत नई पालिसियों में से ३८ प्रतिशत पालिसिया ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। अतः निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्यालय खोलने चाहिएं। निगम के विभिन्न कार्यालयों में स्थानीय भाषा जानने वाले कर्मचारी होने चाहिएं जिससे लोगों को बहुत सुविधा होगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : आज हम अपने देश में समाजवादी प्रजातांत्रिक राज्य होने का दावा करते हैं किन्तु हमारी अधिकांश जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है, जब कि अन्य देशों में समाजवादी राज्य न होने पर भी जनता का रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है। यहां पर १७ प्रतिशत लोग भू मिहीन हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास नाम मात्र के लिए ही भूमि है। हमें इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिये काफी काम करना होगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्ग को सहायता देने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत बेघर लोगों की आवास व्यवस्था के लिए मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए। योजना आयोग

को यह कार्य अपनी देख-रेख मे करना चाहिये अन्यथा राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए दिये गये अनुदानों और ऋणों का दूसरे कामों मे प्रयोग कर देंगी । निम्न आय वालों के साथ साथ मध्य आय वालों को भी ऋणों के रूप में मकान बनाने के लिए धन दिया जाना चाहिए ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

कम आय और निर्धारित आय वाले वर्ग निर्वाह व्यय मे वृद्धि हो जाने के कारण भीषण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। योजना आयोग को इन समस्याओं का अध्ययन करके कोई उचित मार्ग निकालना चाहिए ।

देश मे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है किन्तु खाद्यान्नों के उत्पादन में हम निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं । इस बढ़ती हुई जनता की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़ते हैं जिससे हम पर निरंतर ब्याज समेत ऋणों का भार बढ़ता जा रहा है ।

यह खुशी की बात है कि देश मे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सामुदायिक विकास तथा सहकार विभागों को खाद्य मंत्रालय के साथ सम्बद्ध किया गया है । सरकार को खाद्यान्नों का आयात करने के स्थान पर उर्वरकों का आयात करना चाहिए । गोबर का जो एक बहुत ही उपयोगी खाद है, ईंधन के रूप में प्रयोग रोकना चाहिए । घरों में ईंधन के लिए निम्न श्रेणी का कोयला प्रयोग में लाया जाना चाहिए । योजना आयोग को उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर न छोड़ कर, स्वयं निभाना चाहिए ।

सरदार स्वर्ण सिंह, जिनकी ऊंचाई ६ फीट, २ इंच है . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस तरह किसी माननीय मंत्री के बारे में उल्लेख करना उचित नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मेरा तात्पर्य बहुत ऊंचे व्यक्ति से है ।

श्री राम नाथन चेट्टियार (करूर) : मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है, क्या कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य की ऊंचई और उन के भार का उल्लेख कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। माननीय सदस्य को अपने शब्द वापिस ले लेने चाहिएं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं ।

खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय व्यापार में राज्य व्यापार में राज्य-सरकारों का उद्देश्य मुनाफा कमाने का नहीं होना चाहिए। योजना आयोग को इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखनी चाहिए । लोगों की अत्यावश्यक वस्तुओं का संभरण उचित मूल्यों पर किया जाना चाहिए ।

भारत जैसे विकास के मार्ग पर चल रहे देश में लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशा को सुधारने तथा उनके रहन सहन के स्तर को उठाने में योजना आयोग का महत्वपूर्ण स्थान है । आज देश में मध्य आय वाले वर्ग के लोग करों के भार से दबे हुए हैं । योजना आयोग को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध मे सरकार को सुझाव दे कर उनके प्रचार को कम करने का प्रयत्न करे । तभी वास्तविक समाजवाद की स्थापना हो सकती है । देश के विकास को दृष्टि में रखते हुए योजना

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के संसाधनों का उपयोग हो। आशा है आयोग देश के लोगों के रहन सहन को उठाने तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभायेगा।

श्री लीला धर कटकी (नवगांव) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में हमारी योजनाओं में जो कुछ भी कमियां निकली हैं हमें उन्हें दूर करने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए "इकानामिक डेवलपमेंट इन डिफरेंट रिजन्स इन इण्डिया" जैसे अन्य प्रकाशन समय समय पर प्रकाशित किये जाने चाहिए।

प्रतिरक्षा संबधी तथा विकास कार्यों को मध्यकालीन मूल्यांकन में सुझाये गये उपायों के अनुसार तेजी से करना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को बसाने की शीघ्र उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

आसाम, त्रिपुरा, नागालेंड, मनीपुर, नेफा आदि क्षेत्र विकास की दृष्टि स काफी पिछड़े हुए हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन का शीघ्र विकास किया जाना चाहिए। इस संबन्ध में हम एक सादन पत्र मंत्री महोदय को पहिले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

यह दुःख की बात है कि वर्ष १९६४-६५ में आसाम के लिए ३४·२ करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना में ६·५ करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। यह कटौती बिजली तथा बाढ़ों के नियंत्रण के मार्यों पर खर्च होने वाली राशि में की गई है। देश की सुसक्षा की दृष्टि से राज्य का विकास होना आवश्यक हे तथा राज्य के विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली की सविधायें उपलब्ध होनी चाहिये।

आसाम में प्राकृतिक गैस तथा अन्य दूसरे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु वहां पर कारखाने आदि न होने के कारण ये बेकार जाते हैं। अतः इन के समुचित उपयोग के लिये आसाम में "पेपर पल्प", रेयन पल्प और पेट्रो रासायनिक उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने चाहियें।

आसाम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था करना सारे देश की सुरक्षा की दष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः केन्द्र सरकार को इस कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी देश में भुखमरी का राज्य है। जब तक देश से भुखमरी दूर नहीं की जाती तब तक इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है।

यह दुख की बात है कि देश में प्रतिवर्ष २ से ३ अरब रुपये के करों का अपवंचन किया जाता है। सरकार को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

सरकार ने एकाधिपत्यों के मामलों की जांच करने के लिये आयोग की नियुक्ति की है। किन्तु अब तक विवियन बोस जांच समिति तथा अन्य जांच समितियों की रिपोर्टों के अनुसार कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। श्री हजारिका के प्रतिवेदन में "बिरला हाउस" की जांच करने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था किन्तु इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे अनेक

उदाहरण हैं जिनमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई । सरकार को चाहिए कि इन रिपोर्टों की एक एक प्रति सभा की जानकारी के लिए सभा पटल पर रखे ।

गत वर्ष की अपेक्षा निर्वाह व्यय बहुत बढ़ गया है । कर्मचारियों के भत्तों में हाल में जो वृद्धि की गई है वह बहुत कम है । मंत्री महोदय को निर्वाह व्यय सूचनांको के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर के, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि करनी चाहिए ।

कर्मचारियों के बच्चों को दिल्ली से बाहर शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में ही शिक्षा भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है । इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और यह भत्ता सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये ।

वित मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :मंत्रालय का कार्य हाल के वर्षों में बहुत सराहनीय रहा है । चूंकि मंत्रालय का कार्य विभिन्न साधनों से धन की व्यवस्था करना है जिस का भार जनता पर पड़ना स्वाभाविक है इसलिए मंत्रालय सदा आलोचना का विषय रहता है ।

जहां तक करों की बकाया राशि वसूल करने का प्रश्न है, इस कार्य में तेजी लाने तथा अपराधियों के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था करने के लिए सभा के सामने आयकर (संशोधन) विधेयक विचाराधीन है । लोगों से करों की बकाया राशि वसूल करना एक कठिन काम है इसमें काफी प्रयत्न और समय की आवश्यकता है, हमें निर्धारित प्रयक्रिया तथा नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है ।

गत वर्ष मंत्रालय का कार्य बहुत प्रशंसनीय रहा है । पिछले वर्ष निगम कर व आय कर से होने वाली आय का अनुमान ४४० करोड़ रुपये था । पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार इस का अनुमान ५१० करोड़ रुपये था । किन्तु अब निश्चित आंकड़ों के अनुसार यह राशि ५२१ करोड़ रुपये के लगभग है । यह उन अधिकारियों के कठिन परिश्रम का परिणाम है जो प्रायः जनता की आलोचना के विषय बने रहते हैं । इससे आय-व्ययक में निश्चित की गई राशि की अपेक्षा राष्ट्र के कोष को तथा जनता को ८१ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं ।

इस समय उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में करों संबंधी मामले अनिर्णित हैं । उदाहरणार्थ एक उच्च न्यायालय में, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस समय ५५२ मामले अनिर्णीत पड़े हैं । न्यायालयों में चल रहे मामलों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं जिस से कर वसूल करने में आसानी हो जायेगी ।

जहां तक बर्ड एण्ड कम्पनी के कथित अपराधों का सम्बन्ध है, इस समय यह मामला न्यायी निर्णयाधीन है । अतः इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । न्यायनिर्णय हो जाने पर इसका विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा । इस मामले में किसी मंत्री अथवा किसी भूतपूर्व उच्च अधिकारी का हाथ नहीं है ।

मेरे लिये यह मालूम करना सम्भव नहीं है कि किस किस समवाय में मंत्रियों के पुत्रों या दूर के नातेदारों को रखा गया है । एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि मंत्रियों के पुत्र समवायों में काम करते हैं । श्री कानूनगो के पुत्र एक समवाय में काम करते हैं परन्तु वह तब से उस समवाय से संबंध रखते हैं जब कि श्रीकानूनगो के मंत्री बन जाने की प्रत्याशा तक नहीं की जा सकती थी । बैंक आफ चाईना की भी चर्चा की गई । हम इस बैंक के लेखों की अविलम्ब छानबीन कर रहे हैं और यदि कोई अनियमितता सामने आई तो उस से संसद् को अवगत कराया जायगा ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री मसानी ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों तथा उन को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की चर्चा की । उन्होंने यह भी कहा कि निगम की कुछ शाखायें बन्द की जा रही हैं । माननीय सदस्यों को कर्मचारियों के बारे में तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं के बारे में शिकायत करना ठीक है । मैं उस से मतभेद नहीं रखता । परन्तु इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सरकार तथा स्वायत्त निकायों में सम्बन्ध किस प्रकार का है । मेरे लिए उचित नहीं है और न ही सुनकर ही है कि मैं ऐसी शिकायतों का समाधान करूं । हम ऐसे निकायों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा करते हुए सुझाव दे सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि अमुक मामले में वह सहृदयता बरतें । इस से अधिक मेरा दखल नहीं हो सकता । यदि यह नियम सरकार का एक विभाग बन जाय तो बात दूसरी है ?। मेरे पास जो शिकायतें आती हैं कई बार मैं उन का उत्तर देता हूं परन्तु कई बार अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण शीघ्र उत्तर नहीं दिया जा सकता । हमारे उन स्वायत्त निकायों के साथ सम्बन्ध क्या होने चाहियें और किस प्रकार हम उन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं या उन पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं, इस बारे में विचार करना होगा और इस सिलसिले में मैं इस सभा से मार्गदर्शन की आशा रखता हूं । इस सिलसिले में विचार तथा निर्णय इसलिए करना होगा चूंकि वित्त के मामले में मैं इस सभा के प्रति उत्तरदायी हूं । इस समय मैं केवल यही कार्यवाही कर सकता हूं कि इन शिकायतों को निगम के प्रधान के पास भेज दूं ।

श्री मालवीय ने कहा कि प्रगति को एक सिद्धान्त नहीं बना लेना चाहिये और प्रगति करने के लिये अन्य देशों से निधियां प्राप्त नहीं करनी चाहिये । परन्तु मैं समझता हूं कि निधियां प्राप्त करने, प्रगति करने और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्त करने में परस्पर विरोधाभास नहीं है । देश को प्रगति की ओर ले जाना अत्यावश्यक है । बिना प्रगति के जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता और आर्थिक विषमता दूर नहीं हो सकती । जो भी बाधा प्रगति के मार्ग में आये हम उसे दूर करना चाहते हैं ।

श्री पन्त ने कृषि उत्पादन की चर्चा की । उन्होंने जो कुछ कहा वह काफी महत्वपूर्ण था और उस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । चार फर्में ऐसी हैं जो ट्रैक्टरों का निर्माण करती हैं और वर्ष में लगभग ११,००० ट्रैक्टर तैयार होते हैं । मैं मानता हूं कि यह संख्या पर्याप्त नहीं है परन्तु यह कहना गलत होगा कि इस सिलसिले में हम ने बिल्कुल ही प्रगति नहीं की । कृषि के बारे में जो अन्य बातें उन्हों ने कहीं योजना आयोग निश्चित तौर पर उन की ओर ध्यान देगा । हमारे देश में ट्रैक्टरों के माडलों का निर्माण नहीं हो सकता चूंकि इस के लिये पुर्जों की जरूरत होती है ।

डा० सिंघवी ने राज्यों में बिक्री कर एकत्र करने के मामले में एकरूपता लाने की बात कही । मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु इस के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं । मैंने यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में रखा था, परन्तु कोई भी राज्य अपनी शक्ति का त्याग करने के लिये तैयार नहीं है । एकरूपता ला कर कम बिक्री कर की दर से भी अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है । परन्तु इस के लिये हमें राज्यों को तैयार करना होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मेरे और योजना आयोग के उपसभापति के बीच कुछ आधारभूत मतभेद पाये जाते हैं । यह बात गलत है । अन्य देश तो यह समझते हैं कि हमारे दृष्टिकोणों में समानता पाई जाती है । वास्तव में मैंने योजना आयोग को चौथी योजना के बारे में कुछ एक नीति सम्बन्धी बातों के बारे में लिखा था । वह इस बारे में था कि चौथी योजना में विद्युत्

अथवा अन्य बड़ी योजनाओं का काम केन्द्रीय सरकार के अधीन हो और राज्य भी उन कामों में सहयोग दें। राज्य इस प्रकार से योजना बनायें जिस से कि केन्द्र को उन के द्वारा लगाये जाने वाली राशि का ५० प्रतिशत भाग ही देना पड़े। यही आधारभूत नीति हम अपनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों ने हमें लगभग ३००० करोड़ रुपये देने हैं। इस रकम को अदा करना तो अलग बात है, इस का ब्याज भी नहीं दिया जाता, जिस के कारण यह रकम उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मैंने यह सुझाव दिया है कि इस राशि को परियोजनाओं पर लगाया जाय, यदि आवश्यक हो तो इस पर ब्याज भी जोड़ दिया जाय, राज्य अपने राजस्व में से कार्यवहन व्यय लेते रहें, और जब परियोजनाओं से लाभ होने लगे तो उसे दी जाने वाली राशि को चुका दिया जाय। इस नीति के बारे में मतभेद तो हो सकते हैं परन्तु झगड़ा नहीं। एक अन्य बात ग्रामीण कार्यों सम्बन्धी कार्यक्रम की कही गयी। जब हम ने १९५७ में स्थानीय विकास कार्यक्रम आरम्भ किया था तो वित्त मंत्रालय योजना आयोग के ज़रिये राज्यों से सम्पर्क रखता था। इस में इन कार्यों के वित्त मंत्रालय या योजना आयोग के अधीन होने का प्रश्न ही नहीं है। चूंकि यह कार्य राज्य कर रहे हैं। यह नीति संबंधी प्रश्न होते हैं, उपायों संबंधी प्रश्न होते हैं, अतः इन में मतभेद का प्रश्न नहीं होता। मेरे सहयोगी और मुझ में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद होने पर दोनों में से एक ही अपने पद पर रह सकता है।

चौथी योजना संबंधी नीति हमें अभी से बनानी है। हमें अपने संसाधनों को देखना है, विदेशी सहायता को देखना है, योजना को कार्यान्वित करने वाली अपनी प्रशासन व्यवस्था को देखना है। हमें इन सभी बातों पर, इन सभी पहलुओं पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Finance were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१९	वित्त मंत्रालय . .	२,०३,७५,०००
२०	सीमा शुल्क .	४,२५,१०,०००
२१	संघ उत्पादन शुल्क	१०,२१,४१,०००
२२	निगम कर आदि सहित आय पर कर . .	७,२२,००,०००
२३	मुद्रांक .	२,९१,९४,०००
२४	लेखापरीक्षा .	१२,७९,५५,०००
२५	चलमुद्रा और सिक्के . . .	८,९०,९२,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२६	टकसाल	२,४२,६३,०००
२७	कोलार की सोने की खानें	४,७२,४४,०००
२८	पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ	४,६०,५०,०००
२६	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	१६,६८,०००
३०	अफीम	५२,३७,०००
३१	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१,४८,३१,५६,०००
३२	योजना आयोग	१,०१,४१,०००
३३	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायतार्थ अनुदान	२,००,६६,३०,०००
३४	संघ तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच विविध समायोजन	२५,८३,०००
३५	विभाजन पूर्व के भुगतान	१३,६८,०००
११६	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	१७,६३,०००
११७	चल मुद्रा और सिक्कों पर पूंजी परिव्यय	१०,६४,००,०००
११८	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	३०,३३,०००
११६	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	७३,८७,०००
१२०	सेवा निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य	१,१३,४८,०००
१२१	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	१,६३,४१,७६,०००
१२२	विकास के लिये राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	२५,८६,८८,०००
१२३	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	२,२७,६५,०३,०००

अणु-शक्ति विभाग, संसद्-कार्य विभाग लोक-सभा, राज्य सभा तथा उपराष्ट्रपति का सचिवालय

अध्यक्ष महोदय द्वारा अणु शक्ति विभाग, संसद-कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The follwoing Demands in respect of the Department of Atomic Energy, the Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha and the Secretariat of the Vice-Preisdent were put and adopted.

अणु शक्ति विभाग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	अणु-शक्ति विभाग	१७,६७,०००
६६	अणु शक्ति अनुसंधान	६,१४,१८,०००
१४४	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	१८,१६,५६,०००

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	संसद्-कार्य विभाग	
९७	संसद् कार्य विभाग	३,३५,०००
	लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
१०८	लोक सभा . .	९७,२५,०००
११०	राज्य सभा	४१,५०,०००
१११	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	१,९९,०००

इस के पश्चात लोक-सभा शुक्रवार १७ अप्रैल, १९६४/चैत्र २८, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 17th April, 1964/Chaitra 28, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—624 (Ai) LS III—7-64-600'